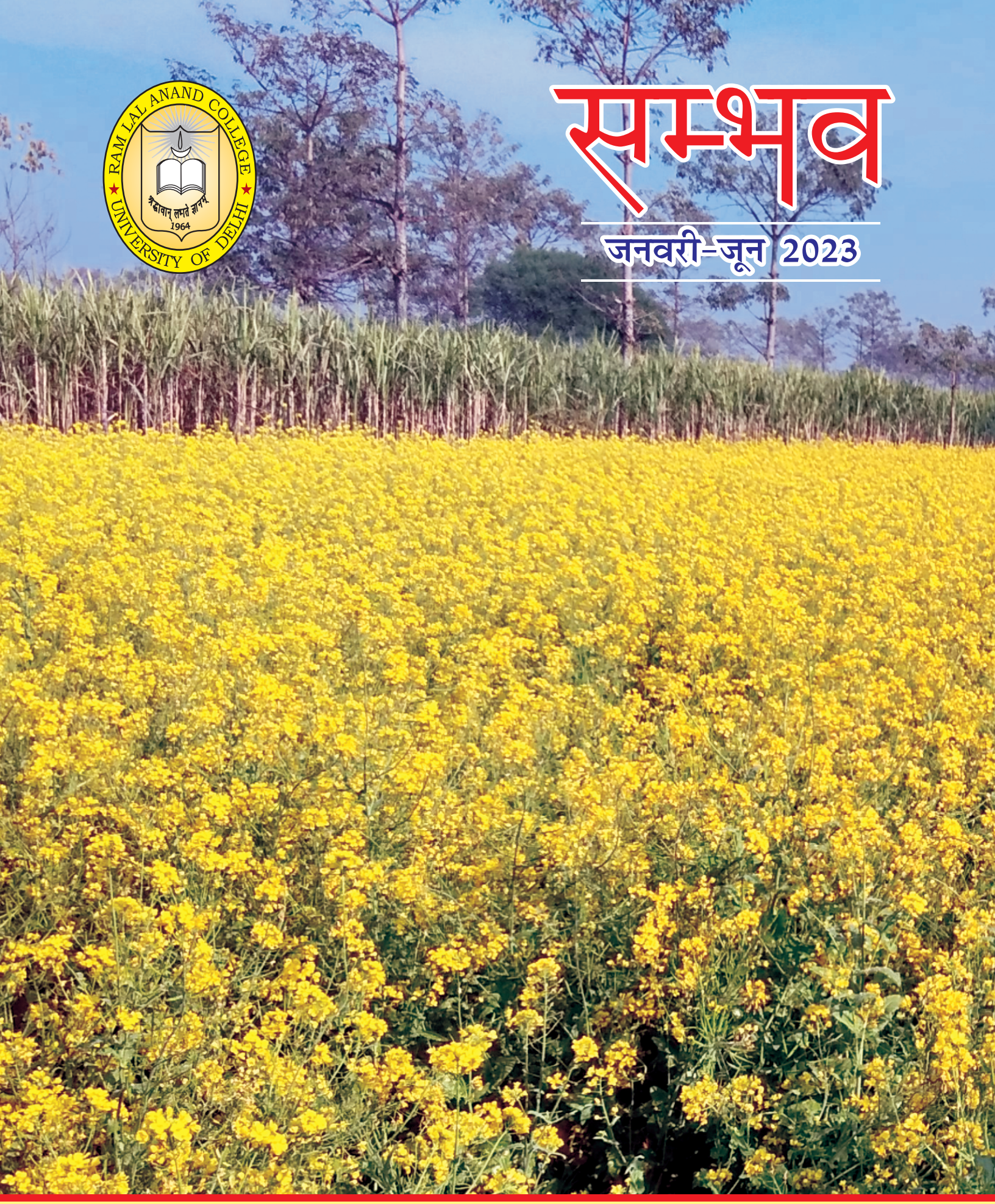

सम्भव

जनवरी-जून 2023

हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, राम लाल आनंद महाविद्यालय

बस एक सवाल

● **श्रुति मिश्रा**

वो निकली थी घर से कमाने के लिए
कोई डॉक्टर थी जानवरों को बचाने के लिए
कोई निकली घर से बचपन सजाने के लिए
पर उन्हें खबर न थी कि
वह नहीं बनीं इस जमाने के लिए

इंसानियत शर्मसार है
ऐसे किस्से हजार हैं
कोई लटकाए पेड़ों पर
तो कोई आग लगाए जलाने के लिए

एक सवाल मन में रोज उठता है
इन अपराधियों का सिर कभी क्यों नहीं झुकता है
आखिर किस गलती की सजा उन्होंने भरी
निर्भया, प्रियंका, आसिफा बेमौत क्यों मरीं

न जाने और कितने नाम इस खामोशी में खो गए
मानवता के फरिश्ते न जाने कहां सो गए
रो पड़े दिल जब हमारे ही
क्या बीती होगी उन दिलों पर जो इन हैवानों के हाथों
अपनी औलादें खो चुके

पुरुष, महिला, बच्चे सुरक्षित कोई नहीं
कौन अपना, कौन पराया, कौन गलत, कौन सही
कोई तो जवाब दो
निर्भया, प्रियंका, आसिफा बेमौत क्यों मरीं?

अनुक्रमणिका

संपादकीय

हमारे समय की चुनौतियां : राकेश कुमार 1

लेख

दल-बदल से त्रस्त भारतीय राजनीति : अभिषेक चौहान 2
आधुनिक भारत का छद्म नारीवाद : आशा 4
प्रताड़ित पुरुषों के लिए कानूनों का अभाव : खुशी वशिष्ठ 5
सशक्तीकरण का नया रूप महिला आईपीएल : शाम्भवी 8
महिला आरक्षण बिल का ऐतिहासिक सफर : रिया 10
भारत में होगी जीएम सरसों की खेती : कविता यादव 11
जलवायु परिवर्तन : कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ : कंचन 12
तुर्कीये और सीरिया में प्रकृति का प्रकोप : मो. सलमान 14
जोशीमठ में भी प्रकृति ने दिखाया अपना रूप : श्रुति 17
इच्छा मृत्यु के मसले पर जारी है बहस : निशा 18
भारत से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ योग : प्रेरणा 20
प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में हिन्दी और तेलुगु सिनेमा : मीनाक्षी पंत 22
चुनौतियों से भरा है डिलीवरी ब्वॉय का जीवन : शृंगारिका 24
हिन्डेनबर्ग का नया शिकार : अनुराग 26
जी-20 में भारतीय संस्कृति का बखान : अफसाना 27

कहानी

दिया जलना कहां मना है? : मीनाक्षी पंत 28

कविताएं

बस एक सवाल : श्रुति मिश्रा फ्रंट इनर
जीवन का भवसागर : श्रुति मिश्रा बैक पृष्ठ
बस इतना सा : खुशी बैक पृष्ठ

सम्भव

वर्ष : 17 अंक : 1
पूर्णांक–22
जनवरी–जून 2023
अप्रैल 2023 में प्रकाशित

संरक्षक मंडल

प्राचार्य
प्रो. राकेश कुमार गुप्ता
प्रभारी
प्रो. राकेश कुमार

संपादक मंडल

संपादक
प्रो. राकेश कुमार
डॉ. अटल तिवारी
छात्र संपादक
प्रभाकर मल्ल
उप-संपादक
निहारिका

कवर फोटो
डॉ. अटल तिवारी

संपादकीय पता :
हिंदी, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
राम लाल आनंद महाविद्यालय,
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
बेनितो जुआरेज़ मार्ग, नई दिल्ली-110021
दूरभाष: 011-24112557
ईमेल : sambhavrla@gmail.com

स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक
प्रो. राकेश कुमार गुप्ता
द्वारा बेनितो जुआरेज मार्ग
नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित
और **यशस्वी प्रिंटर्स,** जी-2/122,
द्वितीय तल, सेक्टर-16, दिल्ली-110089
से मुद्रित

'संभव' में प्रकाशित रचनाओं के विचार लेखकों के अपने हैं, उनसे संपादक मंडल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

संपादकीय

हमारे समय की चुनौतियाँ

हमारा समय अनेक चुनौतियों से भरा है। इस पृथ्वी पर शायद कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो चुनौतियों से न गुज़र रहा हो। अर्थतंत्र, समाज, राजनीति, संस्कृति और प्रकृति किसी न किसी प्रकार की चुनौती का सामना कर रही है। इसमें से प्रकृति विशेष है। प्रकृति ने धरती पर जीवन के लिए सब कुछ दिया है। हवा, पानी, धूप, भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति तो प्रकृति सहज ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को कर देती है। प्राचीन अतीत से लेकर वर्तमान तक प्रकृति ने यह रास्ता दिखाया है कि यदि हम प्रकृति के साहचर्य और सामंजस्य में रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक हम धरा की अनमोल धरोहरों को पहुंचा सकेंगे। यह तभी सम्भव है कि हम पृथ्वी पर मौजूद नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशुओं, पक्षियों, विविध जैविक और अजैविक पदार्थों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। परंतु समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि जब मनुष्य स्वयं को इन प्राकृतिक संसाधनों को एकमात्र स्वामी मान लेता है। पूंजी और अधिक मुनाफे से प्रेरित विकास ने इस विचार को बढ़ाया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज हम जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर अति वृष्टि प्रलय मचा रही है। यह संकट इतना गहरा है कि अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह पर भी अब बर्फ पिघल रही है। बढ़ती हुई आबादी के लिए अधिक अन्न उपजाने के लिए रसायनों का अतिरिक्त और अनावश्यक उपयोग धरती को बंजर और मनुष्यों को बीमार बना रहा है।

जलवायु परिवर्तन ने कृषि के सामने भयानक संकट उत्पन्न कर दिया है और यदि हमारी कृषि व्यवस्था चौपट होती है तो यह बात साफ है कि दुनिया गहरे आर्थिक संकट में आ जाएगी। इतनी गम्भीर चुनौतियों को देखते हुए हमें भविष्य की तैयारी करनी है। 'सम्भव' पत्रिका निरंतर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के प्रति अपने पाठकों को आगाह करती रहती है। इस अंक में भी हमने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण संकट को आपके सामने रखा है।

इस अंक में पर्यावरण के अतिरिक्त राजनीति, समाज, अर्थतंत्र, सिनेमा, स्त्री जैसे अनेक विषयों पर हमारे विद्यार्थियों ने लेखनी चलाई है। हम आशा करते हैं कि पिछले अंकों की भांति इस अंक को भी आप सभी पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा।

प्रो. राकेश कुमार
संयोजक, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार

दल-बदल से त्रस्त भारतीय राजनीति

• **अभिषेक चौहान**

लोकतांत्रिक देश भारत की शासन प्रणाली का संचालन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दलों की विचारधारा एवं सिद्धांत अलग-अलग होने के कारण आपसी विवाद में जूझते रहते हैं। जब देश और राज्यों में चुनाव होते हैं तो अनेक दल उसमें भाग लेते हैं। ऐसे में मतदाता को प्रत्येक दल के प्रतिनिधि के बारे में जानना आसान नहीं होता है। ऐसे में मतदान विचारधारा के आधार पर भी होता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न पर लोकसभा अथवा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध तोड़ता है और उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है तो ऐसा करना दल-बदल कहलाएगा। दल बदल के पीछे जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक इच्छा जैसे मंत्री पद या किसी अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पद, आर्थिक लाभ के अलावा कभी-कभी आपसी मतभेद के कारण भी यह स्थिति उत्पन होती है। दल बदल से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है जिसके कारण सरकारें बनती और गिरती हैं और विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

एक सर्वेक्षण से पता चला कि 1957 से 67 तक मात्र 10 वर्षों के अंदर 542 बार सांसद व विधायकों ने दल बदले थे तो वहीं 1967 के बाद दल बदलने के कारण राज्यों में 16 सरकारें गिर गई थीं। दल-बदल के चलते कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने के बाद सभी पार्टियों ने इससे निपटने के लिए एक ठोस कानून की जरूरत महसूस की। संसद में दल-बदल को लेकर वर्ष 1985 में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा यानी 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल-बदल को कानूनन अनुचित करार दिया गया और फिर इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1988 में इसने कानून का रूप ले लिया और धरातल पर लागू हो गया।

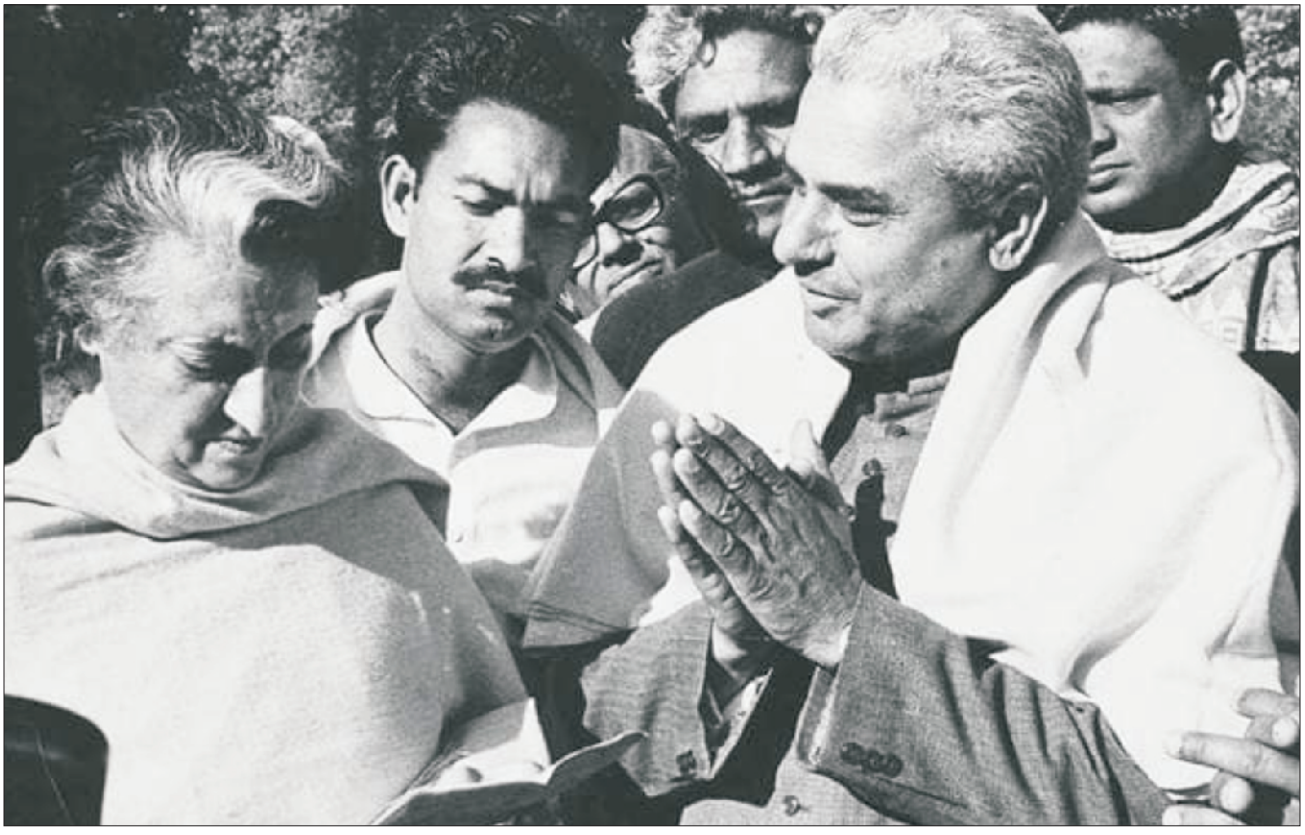

इतिहास में चौधरी चरण सिंह को पहला 'दल-बदलू पीएम' कहा जाता है। इससे भी रोचक कांड 80 के दशक में हरियाणा राज्य में हुआ था। वर्ष 1980 में वहां जनता पार्टी की सरकार थी। भजनलाल मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में 47 विधायकों ने इंदिरा कांग्रेस (पार्टी) में शामिल हो गए थे और जनता पार्टी की सरकार इंदिरा कांग्रेस की सरकार में बदल गई थी। इस तरह दल बदल को लेकर और कई रोचक किस्से हैं।

इस कानून का पहला शिकार बने पूर्व सांसद लालदुहोमा। उन्हें संसद सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पर यह कानून लागू नहीं होता। किसी दल के दो तिहाई सदस्य एक साथ दल बदलते हैं तो उन पर भी यह कानून लागू नहीं होता। दल-बदल के बाद अयोग्य घोषित लोकसभा और विधानसभा सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। वैसे उक्त अयोग्य सदस्य फिर से संबंधित सीट से उपचुनाव के जरिए चुनाव लड़ सकते हैं।

जब कोई प्रतिनिधि दल बदल करता है तो उसे जनता के मतदान के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। हाल की कुछ घटनाओं की बात करें तो जनप्रतिनिधि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही इस्तीफा देकर उपचुनाव में भाग लेकर चुनाव जीतकर दल बदल कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उस क्षेत्र का विकास बाधित होता है। दलबदल के मामले में सांसदों व विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सदन के स्पीकर को होता है। स्पीकर किसी न किसी दल का सदस्य होता है, जिस कारण स्पीकर की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि संसद को दल बदल के मामलों में स्पीकर के अधिकारों पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा सांसदों एवं विधायकों को अयोग्य घोषित करने के प्रश्न पर एक प्राधिकरण या स्वतंत्र संस्था बनाने का सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने उसे पर ध्यान नहीं दिया।

आधुनिक भारत का छद्म नारीवाद

• आशा

छद्म नारीवाद और नारीवाद एक विचारधारा है। नारीवाद का मूल अर्थ है महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में समान अवसर, अधिकार और शक्ति का होना। वहीं छद्म नारीवाद में कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक योग्य और श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसका शासन केवल महिलाओं के पास हो। कहा जाए तो वे केवल छद्म नारीवाद महिलाओं का वर्चस्व चाहते हैं।

छद्म नारीवाद को आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर नारीवाद से जुड़ी बहुत सारी पोस्ट डाली जाती हैं। जोमैटो डिलीवरी बॉय का विवादास्पद मामला छद्म नारीवाद का उदाहरण है। मार्च 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला रो रही थी और एक जोमैटो डिलीवरी मैन द्वारा किए गए खराब व्यवहार के बारे में अपनी कहानी बता रही थी। महिला ने बताया कि उसने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया था, जो उसे दिए गए समय

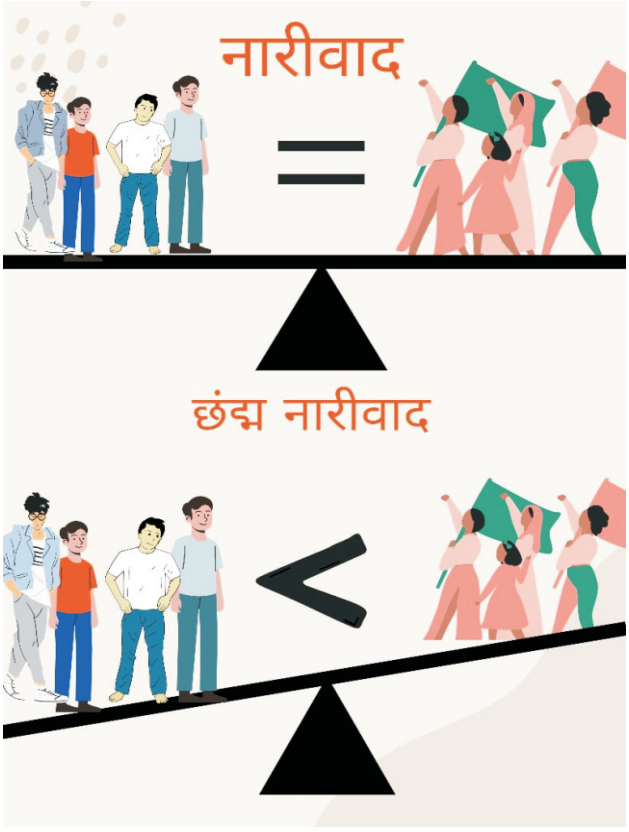

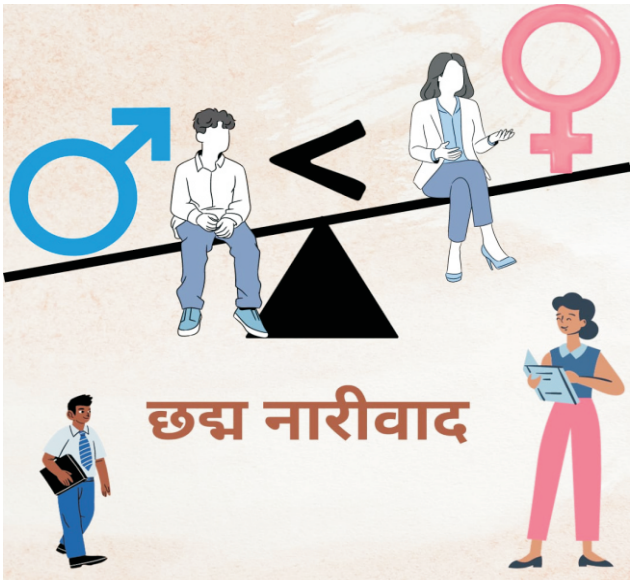

पर डिलीवर नहीं किया गया था। इस पर गुस्से में डिलीवरी बॉय ने उसकी नाक पर वार कर दिया।

इस वीडियो ने नारीवादियों को नाराज कर दिया। उन्होंने डिलीवरी मैन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जोमैटो कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिलीवरी मैन को नौकरी से निकाल दिया। डिलीवरी मैन ने अपने बचाव में कहा कि उस ट्रैफिक की वजह से आर्डर देने में देरी हो गई। उस महिला ने उसे मारना शुरू कर दिया और आत्मरक्षा के कारण उसने उसे पीछे धक्का दे दिया। महिला ने अपनी अंगूठी से खुद को घायल कर लिया और उसके बाद उसने डिलीवरी मैन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाला एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर अपना विक्टिम कार्ड खेला। यह कहा जा सकता है कि उसने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन उसने एक लड़के के कॅरिअर को बर्बाद कर दिया।

छद्म नारीवाद का उद्देश्य पुरुषों को अपमानित करना है। छद्म नारीवाद को फेक फेमिनिज्म भी कहा जाता है। छद्म नारीवाद में पुरुष और महिलाओं में समानता नहीं होती। महिलाएं, पुरुषों से सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन पुरुषों को अपमानित करना, उन्हें नीचा दिखाना कहीं से भी उचित नहीं है।

प्रताड़ित पुरुषों के लिए कानूनों का अभाव

• खुशी वशिष्ठ

यौन हिंसा किसी आत्मा के साथ की जाती है, क्योंकि हत्या से तो केवल शरीर मरता है। लेकिन ब्लात्कार से पीड़ित की आत्मा भी मर जाती है। यह एक ऐसा कृत्य है जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। चाहे उसकी आयु, लैंगिकता या यौन रुझान कुछ भी हो। हम अक्सर ऐसे यौन अपराधों के बारे में सुनते हैं और सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि अपराधी एक पुरुष होगा और पीड़ित एक महिला। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्यों हम इसी दृष्टिकोण से ब्लात्कार के अपराधों का विश्लेषण करते हैं?

यौन हिंसा या कोई भी यौन कृत्य जबरदस्ती यौन क्रिया करने या प्राप्त करने के प्रयास से संबंधित है। इसके अलावा यौन हिंसा में किसी व्यक्ति की तस्करी के लिए किया गया कार्य या किसी व्यक्ति की कामुकता के विरोध में निर्देशित कार्य भी सम्मिलित है। चाहे अपराधी के पीड़ित के साथ कुछ भी संबंध क्यों न हों।

भारत में महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं। अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को छोड़ दिया जाए तो पुरुष यौन प्रताड़ना से संबंधित कानूनों का अभाव है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 354अ से 354फ तक और धारा 375 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि केवल एक पुरुष ही अपराध कर सकता है और पीड़िता महिला होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि यौन हिंसा केवल महिलाओं तक ही सीमित है। इसमें कोई संदेहास्पद बात नहीं है कि महिलाएं यौन अपराधों से अधिक पीड़ित हैं। उनके प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं किंतु यौन अपराधों के मामले में पीड़ित पुरुषों की स्थिति को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह सर्वथा अन्यायपूर्ण है कि पुरुषों के साथ होने वाले अपराधों या उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव पर कम से कम ध्यान दिया जाता है। कई लोगों का मत है कि पुरुषों का यौन उत्पीड़न किया ही नहीं जा सकता या यह पूर्णत: असंभव है। यह उन्हें इतना असामान्य लगता है कि वे मानते हैं कि यह एक छलावा मात्र है।

भारत में केवल एक महिला को ही कानूनी तौर पर यौन हिंसा से ग्रसित माना जा सकता है। साथ ही केवल एक पुरुष को ही इस मामले में अपराधी माना जाता है। जिन मामलों में कोई पुरुष पीड़ित है, उन्हें भारतीय दंड संहिता के अनुसार अभी तक अपराध नहीं माना जाता। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी यौन अपराधों के मामले में लिंग तटस्थता संबंधित कानूनों को प्रस्तावित किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में यौन हिंसा के खिलाफ लिंग तटस्थता कानून को लाने की मांग को अभी तक खारिज किया जाता रहा है। यह लैंगिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार और कानूनों का अभाव पुरुषों में हीन भावना का सृजन करता है। उन्हें न्याय पाने से रोकता है। इसी कारण यह अनिवार्य है कि समाज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और पुरानी सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए तथा पुरुषों पर लगे पुराने सामाजिक कलंकों को कम करने के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को कानून के समक्ष

समानता हासिल हो। विचार करने वाली बात तो यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और अन्याय के लिए लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन साथ ही हम इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं कि पुरुष भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। जब हम लैंगिक समानता या महिला सशक्तिकरण का उपदेश देते हैं तब पुरुषों की समस्याओं को क्यों भूल जाते हैं? क्या यहां भी समानता मौजूद है?

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में पहला अधिकार समानता का अधिकार है। इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी दिया जाता है। हालांकि इस अधिकार का उल्लंघन स्वयं भारतीय कानून करता है। हमारा कानून पुरुषों के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखता। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता कि बलात्कार से संबंधित अपराधों के विरुद्ध न्याय पाने की श्रेणी में पुरुष है ही नहीं। यौन उत्पीड़न के लिए लिंग तटस्थ या एक समान कानून बनाने की टालमटोल समानता के अधिकार के उल्लंघन को बताती है। जब रेप की सभी लिंगों के लिए समान अपराध बनाने की जनहित याचिका दायर की गई तो विभिन्न महिला समूहों ने इसका विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील वृंदा ग्रोवर ने एक साक्षात्कार में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि पुरुष, महिलाओं के समान गंभीर यौन हिंसा के मुद्दों का सामना करते हैं।' महिलाओं की ओर से पुरुषों के बलात्कार या कोई पांच घरेलू हिंसा पीड़ितों में दो पुरुष हैं। हालांकि न्यायालय पुरुषों के विरुद्ध होने वाले अपराध पहचान रहे हैं। वे उन महिलाओं को भी दंडित कर रहे हैं, जो झूठे दोषारोपण कर रही हैं। भारत सरकार ने एक आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2012 पेश किया है, जो बलात्कार कानूनों को लिंग तटस्थ बनाने का प्रस्ताव रखता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समाज ने पुरुष बलात्कार के सजीव उदाहरण अपनी आंखों से देखे। सबसे बड़ा आपराधिक मामला इंग्लैंड में दर्ज किया गया। इसमें रेनहार्ड सिहागा नाम का एक व्यक्ति पुरुष बलात्कार की घटनाओं के लिए कुख्यात था। वह इंडोनेशियाई छात्र क्लबों के बाहर नशे में धुत पुरुषों को अपना निशाना बनाता था और उन्हें टैक्सी बुलाने के बहाने अपने अपार्टमेंट में ले जाकर मादक पदार्थ देकर उनके साथ बलात्कार करता था। रेनहार्ड के नाम 159 यौन अपराध के मामले दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक वह 190 पुरुषों को अपना निशाना बना चुका है। इस जघन्य कृत्य के लिए उसे 30 साल की सजा सुनाई गई थी। विदेशों में ही नहीं भारत में भी पुरुष बलात्कार

के मामले सामने आ चुके हैं। एक पुरुष रेप पीड़ित ने 2016 में अपने फेसबुक अकाउंट से यह बात उजागर की कि उसके साथ 11 सालों से रेप होता रहा है और रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा है। 18 साल की उम्र में जब उसे समझ आने लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसने अपने चाचा को लात मारकर कहा 'नहीं'। फिर जाकर यह बात अपनी मां को बताई। अब उसे न्यायालय से ही उम्मीद है। इसके अलावा हाल ही में एक खबर आई कि जालंधर में चार लड़कियों ने एक पुरुष का कार में गैंगरेप किया। पुरुष ने बताया कि एड्रेस पूछने के बहाने लड़कियों ने उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे गाड़ी में डाल दिया। उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। यह कोई नई घटना नहीं है कि पुरुषों के साथ यौन हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। शामली में 2014 में एक महिला अध्यापिका द्वारा 12 साल के छात्र का रेप किया गया। मुजफरनगर में पुलिस ने तीन कैदियों पर साथ रह रहे कैदी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया। एक घटना मुंबई में 2013 में हुई, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले किशोर के साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि भारत में कितने पुरुषों के साथ बलात्कार हुआ, इसका कोई आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं है।

सवाल उठता है कि समस्या यह नहीं है कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है। समस्या की शुरुआत समाज की विकृत सोच से होती है। पुरुष को सदैव बहादुर और शक्ति प्रदर्शन की कड़ी माना गया है। समाज की सोच 'मर्द को दर्द नहीं होता' ने सारे समाज की पुरुष जाति के समक्ष एक विडंबना ला खड़ी की है, जिससे पुरुष अपने दुख दर्द को बयां करने में संकोच करते हैं। जो पुरुष यौन हिंसा का शिकार रहे हैं, उनमें यौन हिंसा के अन्य उत्तर जीवियों के समान भावनाएं रहती हैं या हो सकती हैं। पुरुषत्व पर प्रचलित रूढ़ियों के कारण उनकी भावनाओं को अकसर नकार दिया जाता है और वे सामाजिक उपहास से डरते हैं। अपने आस-पास के लोगों द्वारा ताने, उपहास और अपमान का डर पुरुषों को उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोलने से रोकता है।

यह समय है कि समाज में लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जाए। यह मानते हुए कि पुरुष यौन हिंसा से गुजर रहे हैं और महिलाएं भी इसकी अपराधी हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और व्यवहार पर इस तरह के कृत्यों के परिणामों को जानना और जोर देना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तियों के ऊपर इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियां हो सकती हैं-जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह लंबे समय तक शराब की लत, तनाव, हताशा और आत्महत्या का कारण बन सकता है। इन सब स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक है कि लिंग-विशिष्ट कानूनों का उन्मूलन और लिंग-तटस्थ कानून लागू किए जाने चाहिए। जिस तरह महिलाओं के लिए एक अलग अदालत है, वैसे ही पुरुषों लिए भी अदालत होनी चाहिए। एक अलग से आयोग बनाया जाना चाहिए जो पुरुषों के हितों और उनके विरुद्ध अपराधों पर अनुसंधान से संबंधित हो। साथ ही एलजीबीटी समाज के लिए यही प्रावधान होना चाहिए। यौन हिंसा में सभी को समानता से दंडित करना चाहिए। अभियान, रिपोर्ट, लेख आदि के द्वारा पुरुष यौन हिंसा के बारे में जागरुकता फैलानी चाहिए।

दुनिया में पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा

अमेरिका में 9 में 1 पुरुष घरेलू हिंसा का होता है शिकार

7 में 1 पुरुष का पार्टनर के हाथों होता है शारीरिक शोषण

ब्रिटेन में 5 में से 2 पुरुष के साथ ऐसा होता है

ऑस्ट्रेलिया में 16 में से 1 पुरुष होता है शारीरिक रूप से प्रताड़ित

सोर्स: ऑस्ट्रेलिया इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन

सशक्तीकरण का नया रूप महिला आईपीएल

● **शाम्भवी**

इस साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईपीएल में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिला आईपीएल की शुरुआत की। नारीवाद के समर्थकों ने बीसीसीआई के इस कदम की सराहना की, क्योंकि महिला आईपीएल को नारी सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जाने लगा।

लेकिन क्या यह सच में पर्याप्त है? हां, यह सच है कि महिलाओं की स्थिति को समाज में बेहतर बनाने के लिए सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं, परंतु इन कार्यों के तुलनात्मक अध्ययन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह प्रयास पर्याप्त हैं।

हम जब महिला आईपीएल, जहां नारी सशक्तिकरण के पक्ष को दिखाया गया है, पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि जहां पुरुष खिलाड़ियों की नीलामी राशि 16-17 करोड़ से लेकर साढ़े 18 करोड़ रुपए तक है, वहीं महिला आईपीएल में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना केवल 3.4 करोड़ की राशि पाती हैं। उन्हें रॉयल चैलेंजर बंगलुरु की टीम ने खरीदा है। महिला आईपीएल में एक टीम को खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करने के लिए सिर्फ 12 करोड़ रुपए की रकम दी गई। वहीं पुरुष आईपीएल में हर टीम का बजट 90 करोड़ के आसपास होता है। महिला और पुरुषों के आईपीएल की नीलामी राशि के बीच इतना बड़ा अंतर दर्शाता है कि अभी महिला सशक्तिकरण का केवल बीज डाला गया है। इस बीज का अंकुरित होना अभी बाकी है। इसके साथ ही लोकप्रियता में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

जहां पुरुष आईपीएल के टिकट की बुकिंग पहले ही खत्म हो जाती है और मैदान

दर्शकों से खचाखच भरा होता है, वहीं महिला आईपीएल में कहीं न कहीं लोगों की इस दीवानगी की कमी दिखती है। इसका एक कारण महिला आईपीएल के सभी मैचों का एक ही शहर के मैदान पर होना भी है। लेकिन इस अंतर का सबसे बड़ा कारण समाज की मानसिकता है। कहीं न कहीं समाज अभी भी रुढ़िवादी विचारों में जकड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ही खेल, एक जैसे ही मैदान, एक जैसे ही नियम और तो और एक जैसी ही आलोचनाओं के शिकार होने के बाद भी महिला आईपीएल की स्थिति पुरुष आईपीएल की तुलना में कम सुदृढ़ है।

आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस की स्वामित्व वाली वायाकॉम-18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला आईपीएल के प्रसारण का अधिकार हासिल कर लिया है। अगले पांच साल तक के आईपीएल के लिए वायाकॉम ने यह अधिकार 951 करोड़ की बोली लगाकर अर्जित किया है। इससे पहले वायाकॉम-18 ने पुरुष आईपीएल के भी डिजिटल राइट्स खरीदे थे। वायाकॉम ने 23,758 करोड़ रुपये में पुरुष आईपीएल के डिजिटल राइट्स पर कब्जा किया था।

मजे की बात यह है कि प्रसारण की नीलामी राशि से लेकर

खिलाड़ियों की नीलामी राशि तक में इतना अंतर होने के बावजूद भी जब बात आलोचनाओं की आती है तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। इस आईपीएल में सबसे महंगी खरीदी जाने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं और पूरे सीजन में उन्होंने केवल 149 रनों का योगदान दिया। इस हिसाब से बंगलुरु को उनका एक रन 2 लाख 27 हजार 187 रुपए में पड़ा। इसके कारण सोशल मीडिया पर उन्हें तरह-तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। साथ ही रॉयल चैलेंज बंगलुरु को भी आठ में से छह मैच हारने की वजह से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इससे पहले कुछ वर्षों से रॉयल चैलेंज बंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला आईपीएल में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा था तो उन्हें भी इसी तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। सोचने वाली बात है कि जब आलोचना में कोई अंतर नहीं है तो लोकप्रियता में इतना बड़ा अंतर क्यों? इसका जवाब शायद यह भी है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है, लेकिन समाज की मानसिकता को बदलना इतना भी आसान काम नहीं है। विचार एक दिन की उत्पत्ति नहीं होते। यह वर्षों की सतत और निरंतर प्रक्रिया की देन होते हैं। इसे बदलने में धैर्य और साहस के साथ निरंतर प्रयत्न करते रहने होंगे। आईपीएल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के जरिए एक माहौल का निर्माण करना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को समझ सकें। यह हर क्षेत्र में दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। महिलाओं को घर की परिधि में समेट कर रखने वाले रुढ़िवादी विचार के ऊपर भी चोट करेगा।

महिला आरक्षण बिल का ऐतिहासिक सफर

● **रिया**

महिलाओं की सुविधा एवं समानता के लिए नई-नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किये जा रहे हैं। 19 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

अभी तक संविधान में संशोधन करके संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले क्रमशः बिल 1996, 1998, 1999 और 2008 में पेश किए गए। 1996 में पहला महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया। फिर 1998 से 2003 के बीच सरकार ने चार बार बिल पेश किया, लेकिन उसे पारित कराने में सरकार असफल रही। तत्पश्चात् 2009 में विभिन्न विरोधों के बीच सरकार ने बिल पेश किया।

इसके बाद 2023 में संविधान का 128वां संशोधन बिल 2023 महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता प्रदान करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। एक क्रांतिकारी कदम के रूप में यह बिल महिलाओं के बारे में सोचने के तरीके में सामान्य जनता में परिवर्तन ला सकता है। महिलाओं को सशक्त बना सकता है। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर पक्ष और विपक्ष दोनों पर तर्क किए गए। इसके पक्ष में तर्क है कि उन्हें अपनी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। प्रायः उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय तक की पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। वे विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के साथ आबादी के एक बड़े एवं विविध वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी अलग-अलग आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं, जिनका अन्य श्रेणियों की महिलाओं की ओर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उन्हें देश और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा करके उन्हें हाशिये पर रखा गया है। महिलाओं को पितृसत्तात्मक मानदंडों, जातिगत पूर्वाग्रहों, हिंसा एवं धमकी, संसाधनों तथा जागरुकता की कमी व कम आत्मविश्वास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

इसके विपक्ष में लोगों का कहना है कि महिलाओं के लिये अलग आरक्षण का विचार महिला आंदोलन के बीच और अधिक विभाजन एवं संघर्ष पैदा करेगा। यह सामाजिक परिवर्तन के लिये सामूहिक शक्ति के रूप में महिलाओं की एकजुटता व एकता को भी कमजोर करेगा। महिलाओं के लिये अलग आरक्षण से उनकी समस्या जैसे- गरीबी, अशिक्षा, हिंसा, पितृसत्ता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा।

अगर हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसके साथ ही रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदि पर भी महिलाओं का वर्चस्व बहुत अधिक नहीं है। खासकर पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अब समय के साथ साथ महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होती नजर आ रही हैं। साथ ही हर क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए ही महिला आरक्षण बिल 2023 को पेश किया गय। यह वास्तव में एक सराहनीय पहल है। यह पहल तब और सराहनीय होती जब इसे पास करने के साथ तुरन्त लागू कर दिया जाता।

अब भारत में होगी जीएम सरसों की खेती

● **कविता यादव**

भारत में करीब 20 वर्ष बाद जेनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) सरसों की खेती को मंजूरी दे दी गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की ओर से व्यावसायिक खेती के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों की मंजूरी दे दी गई। इसे भारत की पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल कहा जा सकता है। यह सरसों की किस्म हाइब्रिड-11 है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉ दीपक पेंटल और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण दिल्ली कैंपस में स्थित सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट की ओर से विकसित की गई है। वर्ष 1983 में डॉ. दीपक पेंटल और उनकी टीम द्वारा इस पर काम शुरू किया गया था।

एक शोध के मुताबिक कनाडा में 85 प्रतिशत, यूरोप में 90 प्रतिशत और चीन में 70 प्रतिशत सरसों हाइब्रिड प्रजाति की होती है। अनुवांशिक संशोधित फसल जेनेटिक मॉडिफाइड फूड वह फसल है, जिनके डीएनए में बदलाव किए जाते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप में संशोधित किया जाता है। ऐसा फसलों की उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, सूखे में प्रतिरोध और इसमें पोषक सुधार के लिए किया जाता है। धारा सरसों हाइब्रिड एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है, जो हर सरसों का अनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। सरसों की किस्म वरुण और पूर्वी यूरोप अर्लीहीरा-2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। वरुण में अस्थाई बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर सकता। अर्ली हीरा-2 में बारस्टार बार्नेज के प्रभाव को रोकता है, जिससे बीज उत्पन्न होते हैं। भारत में जीएम फसल की शुरुआत 2002 में कपास के कीट प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण बीटी कपास की खेती से शुरू की गई। यह अनुवांशिक रूप से संशोधित है। इसमें जीवाणु को कपास की लक्षित फसल में उपयोग किया जाता है। भारत में 2014 तक बीटी कपास की खेती लगभग 96 प्रतिशत तक होने लगी, जिसमें भारत जीएम फसलों का चौथा सबसे बड़ा और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। वहीं दुनिया भर के देशों के आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो पता चलता है कि चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर जीएम फसलों का उत्पादक है। भारत के लिए जीएम सरसों मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि घरेलू खाद्य तेलों की मांग पूरा करने के लिए भारत की अन्य देशों पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। तेलों का आयात बढ़ना विदेशी मुद्रा में कमी का कारण बन सकता है। जीएम सरसों कृषि आयात पर विदेशी मुद्रा निकासी को कम करने हेतु आवश्यक है। इसके साथ ही भारत में तिलहनी फसलें सोयाबीन, रेपसिड सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देना भारत की खाद्य तेलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित होगा, ऐसा कृषि और खाद्य विशेषज्ञों का मानना है।

जलवायु परिवर्तन : कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़

● **कंचन**

केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्तियां हैं–''जब वर्षा शुरू होती है/कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं/गली कुछ दूर तक भागती हुई जाती है/और फिर लौट आती है/मवेशी भूल जाते हैं चरने की दिशा/और सिर्फ रक्षा करते हैं उस धीमी गुनगुनाहट की/जो पत्तियों से गिरती है/सिप् सिप् सिप् सिप्.../जब वर्षा शुरू होती है/एक बहुत पुरानी–सी खनिज गंध/सार्वजनिक भवनों से निकलती है/और सारे शहर पर छा जाती है...।''

लेकिन किसानी के लिए उत्सव की तरह मनाया जाने वाला मानसून साल 2022 में दुखद मानसून बनकर सामने आया। जहां किसान वर्षा के इंतजार में अपने खेतों में हल चलाने से कतरा रहे थे, वही वर्षा निश्चित न होने पर कृषि प्रधान राज्यों को बुवाई की तारीखों को आगे पीछे करना पड़ा। एक अच्छा मानसून दान की तरह देखा जाता है तो वहीं खराब मानसून खासकर कृषि के लिए अभिशाप कहलाता है। उसका प्रकोप न केवल किसान को भुगतना पड़ता है बल्कि पर्यावरण को भी झेलना पड़ता है।

हमारी खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण राज्यों को सूखे की मार झेलनी पड़ती है तो कभी बाढ़ की। पिछले साल उत्तर प्रदेश का कौशांबी जिला सूखे की मार को झेल रहा था तो वहीं दूसरी ओर मानसून की वजह से असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान बाढ़ का सामना कर रहे थे। सितंबर–अगस्त के महीने में गुजरात और पूर्वोत्तर भारत मुख्यता जो बाढ़ असम में आई वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुख्य संकेत देता है। भारत की कुल बारिश का 70 प्रतिशत हिस्सा मानसून के सीजन में बरसता है। हजारों साल से मानसून की बारिश का यही चक्र रहा है। लेकिन अब मानव जनित कार्बन उत्सर्जन के चलते हो रही ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से इस चक्र में बदलाव आ रहा है। जलवायु परिवर्तन न केवल मानसून को प्रभावित करता है बल्कि मानव स्वास्थ्य समेत बर्फबारी के पैटर्न, जैव विविधता, समुद्री जल स्तर और कृषि को भी प्रभावित कर रहा है।

कृषि क्षेत्र में आम तौर पर 15 जून तक गांव में बारिश शुरू हो

जाती है, लेकिन पिछले साल बारिश 15 जुलाई के बाद शुरू हुई। इस बदलती प्रवृत्ति ने उन्हें दलहन (मूंग और उड़द), तिलहन और मोटे अनाज जैसी फसलों से केवल धान तक सीमित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन जहां एक ओर मानसून परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, सूखा तथा चक्रवात जैसी समस्या के लिए जिम्मेदार है वहीं दूसरी ओर फसल उत्पादन की कमी और पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी डाल रहा है। कृषि वैज्ञानिक मीणा के मुताबिक देश का लगभग 90 फीसदी धान, 70 फीसदी मोटे अनाज और 70 फीसद तिलहन मानसून के दौरान खेती से आते हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि के साथ बर्फबारी के पैटर्न को भी बदल रहा है। दैनिक भास्कर के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल, उत्तराखंड व कश्मीर के पहाड़ों में 30 प्रतिशत कम बर्फबारी हुई। फरवरी में मई जैसा हाल देखना पड़ा। ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। कश्मीर में 30 प्रतिशत, हिमाचल में 21 प्रतिशत और उत्तराखंड में 33 प्रतिशत कम बर्फबारी हुई।

कश्मीर में हर साल जनवरी–फरवरी में 12 इंच से ज्यादा बर्फ गिरती थी। इस बार र्सि 4 इंच ही बर्फबारी हुई। वह भी कुछ दिनों में पिघल गई। दैनिक भास्कर के अनुसार वैश्विक औसत तापमान कम नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रोकने पर सख्ती नहीं बरती जा रही। मौसम विशेषज्ञ डॉ. डीपी दुबे का कहना है कि ''बीते 50 साल में क्लाइमेट चेंज से मैदानों में औसतन तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 0.3 डिग्री बढ़ चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी बारिश का औसत स्तर घटा है और तापमान भी बढ़ा है। यही हालात रहे तो हमारे पहाड़ मूल स्वरूप को खो सकते हैं। बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ सकता है।" जलवायु परिवर्तन के कारण जनवरी 2022 में तापमान बीसवीं सदी के औसत तापमान से 0.89 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यह जानकारी नेशनल आर्सेनिक एंड एटमॉशफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल इन्फॉर्मेशन (एनसीईआई) की ओर से जारी रिपोर्ट में सामने आई थी। पिछले 143 वर्षों के इतिहास में जनवरी 2022 में तापमान सबसे ज्यादा रहा था, जब औसतन तापमान से 1.14 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। यह आंकड़े स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि धरती का तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है।

पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कई कारण हैं जिसमें से एक है ईंधन और कोयले की खपत का ज्यादा होना। वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड की सघनता के लिए कोयला ऊर्जा संयंत्र अहम भूमिका निभाते हैं। एक तिहाई कार्बन का उत्सर्जन कोयले के जलाने से होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण न केवल कोयले की खपत का ज्यादा होना है बल्कि जंगलों का विलुप्त होना भी है। वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर जंगल लापता है। 'डाउन टू अर्थ' पत्रिका में सुनीता नारायण कहती हैं पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी का हौवा पर्यावरण और विकास के बीच द्वंद के झूठ आख्यान को खाद पानी देता है। एक बार तैयार होने के बाद अनगिनत परियोजनाएं न केवल गंगा नदी का अपने तरीके से निर्माण करेंगी बल्कि कई मौसमों में इसे सुखा भी देंगी। इससे ही नाजुक हिमालय जो जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम में है। भूस्खलन और तबाही को लेकर और ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। समस्या उन परियोजनाओं के साथ है जिनकी योजना बिना सोच विचार के बनाई जा रही है और जिन्हें मंजूरी मिल रही है। अगर अभी इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी।

तुर्कीये और सीरिया में प्रकृति का प्रकोप

● **मो. सलमान**

कुदरत के कहर ने एक पल में लाखों जिन्दगियां छीन लीं ।6 फरवरी 2023 को तुर्कीये (तुर्की का नया नाम) और सीरिया में आए भूकम्प ने 50 हजार से ज्यादा जानें ले लीं। एक लाख 70 हजार से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। ज्यादातर लोग सोते-सोते ही मौत के मुंह में समा गए।

तड़के आए पहले भूकम्प की तीव्रता 7.8 थी, जिसकी गिनती सदी के सबसे भयानक जलजलों में की जा रही है। जमीन इतनी तेजी से कांपी कि झटके पड़ोसी देशों लेबनान, इस्राइल, फिलिस्तीन, साइप्रस और इजिप्ट तक महसूस किये गए।

तुर्कीये में 30 मिनट के अंदर भूकम्प के तीन बार झटके महसूस किये गए। पहले भूकम्प का केंद्र तुर्कीये कहरामनमारस प्रांत के गाजियांटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। लोकल समय के मुताबिक यह भूकम्प सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर आया। 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद यानी 4 बजकर 28 मिनट पर आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 4:47 बजे 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकम्प भी आया।

इन शहरों में हुई ज्यादा तबाही कहरामनमारस, गाजियांटेप, ओस्मानिए, अदियामान, सानिलउर्फा, मलात्या, अदाना, डायारबाकिर, किलिस, एल्बिस्तान समेत 11 शहरों में भारी तबाही हुई। सीरिया के अलेफो, लटाकिया, हामा और टार्टस में भूकम्प के कारण भीषण तबाही हुई। इसी विनाशकारी भूकम्प में तुर्कीये के गिजयांतेप शहर का ऐतिहासिक कासल भी मिट्टी में मिल गया। यह 2200 वर्षों से भी ज्यादा पुराना था और तुर्कीये के इतिहास में अहम स्थान रखता था। इसे रोमन साम्राज्य में सबसे पहले निगरानी टावर के रूप में बनाया गया था।

7.8 तीव्रता का भूकम्प कितना स्ट्रॉग होता है, इस पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भूकम्प वैज्ञानिक जानुका अटनायके कहते हैं कि 7.8 तीव्रता वाले भूकम्प को बेहद

खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे करीब 32 पेटाजूल ऊर्जा निकलती है यानी इससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को चार दिन से ज्यादा बिजली मिल सकती है। हालांकि इस तरह भूकम्प से होने वाली क्षति दो बातों पर निर्भर करती है। पहली–जहां भूकम्प के झटके महसूस हुए वहां का जनघनत्व कितना ज्यादा है। दूसरा–भूकम्प का केन्द्र धरती से कितना नीचे रहा है। 100 साल बाद आया इतना खतरनाक भूकम्प तुर्कीये में इससे पहले 1939 में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकम्प आया था। उसमें 30 हजार लोगों की मौत हुई थी।

24 साल पहले क्या हुआ था...

17 अगस्त 1999 के दिन 37 सेकेंड तक धारती डोलती रही थी। भूकंप तुर्की के उत्तरी–पश्चिमी इलाके में आया था। तुर्की के इस हिस्से में सबसे घनी आबादी वाली बस्तियां और औद्योगिक इलाके हैं। यह पूरा इलाका भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भूकंप का केंद्र कोसायेली इलाके में था, जिसकी राजधाानी इजिमत है, लेकिन इसका असर इस्तांबुल, गोलकुक, डारिका, साकार्या और डेरिंस तक महसूस किया गया।

भूकंप टैक्स का रहस्य

तुर्की में तमाम लोग पूछ रहे हैं कि 1999 के भूकंप के बाद शुरू किए गए अर्थक्वेक सॉलिड्रिटी टैक्स से जो बड़ी रकम वसूली गई, उसका क्या हुआ? इस टैक्स के तहत सरकार के खजाने में 4.6 अरब डॉलर के करीब की राशि जमा हुई थी। इसका इस्तेमाल इमारतों कों भूकंपरोधी बनाने में किया जाना था, लेकिन सरकार ने कभी यह साफ नहीं किया कि इस राशि को कहां खर्च किया गया। शहरी निर्माण से जुड़े लोग भूकंप संभावित क्षेत्रों में किये गए भवन निर्माण नियमों की अनदेखी की आलोचना करते रहे हैं। उनका इशारा 2018 के एक सरकारी आदेश की तरफ है, जिसमें इमारतों के निर्माण में नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। इस वजह से 60 लाख से ज्यादा इमारतों में कमी पाए जाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इंस्ताबुल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ पेलीन पिनार बताते हैं, ''इन जुमार्नों के जरिये सरकार को करोड़ों रुपये मिले। इस भूकंप में जितने भवन गिरे हैं, इसमें इसकी बड़ी भूमिका है।''

यह समझना जरूरी है कि एजियन समुद्र के चारों ओर जो देश हैं–तुर्कीये, सीरिया और ग्रीस आदि भूकम्प की दृष्टि से काफी एक्टिव एरिया है। पूरा तुर्कीये भूकम्प के लिहाज से सक्रिय क्षेत्र है और वहां भूकम्प अक्सर आते ही रहते हैं। हाल ही में जो भूकम्प आया, वह ईस्ट एंटोलीयन फॉल्ट लाइन पर आया है, जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। अरेबियन प्लेट धक्का मार रहा है एनाटोलीयन प्लेट को, जिसके कारण बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकम्प के इस एरिया में आने की हमेशा आशंका रही है। पर, सवाल यह है कि क्या भूकम्प इतना विनाशकारी होना चाहिए?क्या हम भूकम्प से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? दुनिया में सबसे अधिक भूकम्प सक्रिय क्षेत्र जापान है। ऐसे में भूकम्प से सबसे अधिक नुकसान कहीं हो सकता है तो जापान में हो सकता है। लेकिन जापानी समाज ने अपने आप को इस तरह से ढाला है, अपने भवनों को इस तरह से डिजाइन किया है, अपने लोगों को इस तरह से प्रीपेयर किया है कि बहुत बड़े भूकम्प से भी वहां जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं होता है। जैसे मार्च 2022 में फुकुशिमा में आए भूकम्प की तीव्रता 7.4 थी, लेकिन इसमें केवल तीन लोगों की मौत हुई और 247 लोग घायल हुए। इन बड़े–बड़े भूकम्पों में भी जरूरी नहीं कि इतना अधिक नुकसान हो। अगर हम अपनी सोसाइटी को जापान की तरह तैयार करें।

तुर्कीये और सीरिया में कुछ भवनों के जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देख कर लगता है कि उनका बहुत ही खराब निर्माण था, क्योंकि कई जगह पर पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ धंस गई है। ऐसा लगता है कि तुर्कीये में भवन निर्माण के मानक बहुत सख्त नहीं हैं। इसी कारण हमें इतनी हानि देखने को मिली है।

कैसे आता है भूकंप...

भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर सात प्लेट्स होती हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह

के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं।

भूकंप के फॉल्ट लाइंस की सच्चाई यह है कि भूकंप के पूवार्नुमान का विज्ञान बहुत मुश्किल है। भूकंप के आने के दौरान या उसके बाद तो कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन पहले से भविष्यवाणी कर पाना बहुत कठिन काम है। प्रोफेसर मैरोन कहते हैं, 'जब हम प्रयोगशाला में अध्ययन कर के भूकंप को साइमुलेट (नकल) करते हैं तभी हमें अपनी छोटी-मोटी कमियों का अहसास होने लगता है, लेकिन प्रकृति में इस बारे में बहुत अनिश्चतता है कि हम अक्सर किसी बड़े भूकंप के आने के संकेत क्यों नहीं भांप पाते हैं।' भूविज्ञानी 1960 के दशक से भूकंपों के पूवार्नुमान की कोशिश में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करने में जुटे हैं। प्रो. मैरोन कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है भूकंप के फॉल्ट लाइंस।

पृथ्वी के भीतर मौजूद ये फॉल्ट लाइंस सारी दुनिया में फैली हैं। पृथ्वी गृह के भीतर हलचल लगातार जारी रहती है। एकदिन में कई-कई भूकंप आते हैं। इनमें अधिकतर इतने कमजोर होते हैं कि उनसे रत्ती भर का नुकसान नहीं होता।

ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हिंडन एअरबेस गाजियाबाद से पहले दिन चार टीमें भेजीं। तुर्की के दूत फिरात सुनेल के अनुसार, भारत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने 6 फरवरी 2023 की शाम तुर्की के प्रभावित क्षेत्रें में बचाव कार्यों के लिए तुरतं एनडीआरएफ के दस्ते भेजे। भारतीय वायु सेना ने एनडीआरएफ के 47 कर्मियों, तीन वरिष्ठ अधिकारियों और एक विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वायड के साथ एक टीम भेजी, जिसमें सहायक कमर्चारी आवश्यक उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति, ड्रिलिंग मशीन और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक उपकरण शामिल थे।

भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रें में गरुड़ एयरोस्पेस के ड्रोन प्रदान किये। साथ ही दवा, भोजन और आपूर्ति ले जाने वाले ड्रोन भी उपलब्ध कराए। एनडीआरएफ की टीमों के पास चिप और पत्थर काटने के उपकरण हैं, जो पीड़ितों को मुक्त करने के लिए कंक्रीट स्लैब और अन्य निर्माण सामग्री के साथ-साथ दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए रडार भी हैं। 7 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना ने तुर्की को दो और सी-17 विमान भेजे। इन दो उड़ानों में राहत सामग्री, एक मोबाइल अस्पताल और अतिरिक्त विशेष खोज और बचाव दल शामिल थे। एनडीआरएफ कर्मियों के साथ आगरा स्थित आर्मीफील्ड अस्पताल ने 89 चिकित्सा कर्मचारियों को भेजा। मेडिकल टीम में 30 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, एक ऑक्सीजन जनरशेन प्लांट, कार्डियक मॉनीटर और संबंधित उपकरणों तक पहुंच के साथ क्रिटिकल के विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक शामिल हैं।

भारत ने छह विमान भेजे...

भारतीय वायुसेना की 7वीं उड़ान 12 फरवरी 2023 को तुर्की के अदाना हवाई अड्डे पर पहुंची। इस उड़ान में रोगी मॉनीटर और ईसीजी मशीन जैसे चिकित्सा उपकरण थे। इसने जमीन पर आपदा राहत सामग्री और बचाव दलों के लिए आपूर्ति भी की। विमान में वितरित आपूर्ति के अलावा भारत संचार नामक एक प्रणाली का उपयोग कर रहा है। यह दोनों को ट्रैक करने में मदद कर सकता है जब वे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके निर्देशन में काम करने के बाद भारतीय चिकित्सा कर्मियों की टीम 20 फरवरी 2023 को भारत लौट आई।

पिछले 50-100 साल के आंकड़े देखें तो 90 फीसदी भूकम्प हिमालय क्षेत्र में ही आए हैं। जिस तेजी से इन राज्यों में कंक्रीट की भवन बन रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है। हिमालय में पारम्परिक रूप से बहुत ही हलके घर बनते रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से हम बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं वह बहुत जोखिम वाली बात है। इसलिए हिमालयी राज्यों को हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हिमालयी राज्य ही क्यों?किसी घनी आबादी वाले इलाके में किसी दिन बड़ा भूकम्प आ सकता है। इसीलिए पूरे देश को इस चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और बचाव की दिशा में काम करना चाहिए।

जोशीमठ में भी प्रकृति ने दिखाया अपना रूप

• श्रुति

जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक नगर है। इस स्थान का हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व है। माना जाता है कि आठवीं शताब्दी में यहीं आदिगुरु शंकराचार्य को अध्यात्म की प्राप्ति हुई थी। धार्मिक स्थल के साथ-साथ यह एक मुख्य पर्यटक स्थल है। परंतु आज यह स्थान खतरे में है। भक्ति रस में डूबा यह शहर आज सच में डूब रहा है। जोशीमठ के घरों और मंदिरों की दीवारों पर, सड़कों पर मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। जमीन धंसती जा रही है और जगह-जगह से पानी की धाराएं बह रही हैं।

आखिर क्या है वजह

ऐसा माना जाता है कि यह शहर भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है। यह एक कंपन संभावित क्षेत्र है। बार बार होने वाले भूस्खलन से यहां की मिट्टी कमजोर हो गई है। जब एक नाजुक जगह पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़ेगा तो उसका ढहना तो स्वाभाविक है। यही हाल हुआ भूस्खलन मलबे पर बसे जोशीमठ के साथ। इस कंपन क्षेत्र में जरूरत से अधिक इमारतों, बड़े बड़े होटलों को बनाया गया, जिनके कारण आज यह भयावह दृश्य हमें देखना पड़ रहा है। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर देहरादून के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला का कहना है कि शहर में पानी की समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम में खराबी के कारण पानी बह रहा है। वह सड़कों और जमीन में भर रहा है। इस कारण जमीन धंसती जा रही है।

क्या करती है सरकार

सरकार ने गैर कानूनी रूप से वहां बनने वाले होटलों पर समय से न ध्यान दिया न रोक लगाई। साथ ही कई अन्य निर्माण कार्य इस क्षेत्र में हो रहे थे, जिनकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। लगातार दरारें पड़ रही हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जोशीमठ भी एक ऐसा ही सिक्का है जिसमें अगर एक ओर गलती सरकार की है तो दूसरी ओर आम नागरिक भी कम दोषी नहीं हैं। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का खामियाजा देर-सबेर भुगतना ही पड़ता है।

अगर नागरिकों ने समय रहते प्रकृति के इस हनन के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज जो हो रहा है शायद नहीं होता। जिस तरह से लोग लापरवाह होकर व्यवसायीकरण की ओर निरंतर अग्रसर हैं, वह उचित नहीं है। उस हिसाब से आगामी समय में ऐसे ही और जोशीमठ देखने को मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार वह समय भी अधिक दूर नहीं है। यदि अब भी लोग और सरकार प्रकृति की यह चेतावनी नहीं समझ पाए तो ऐसे ही हजारों ज्योतिर्मठ हमारी नजरों के सामने ढह जाएंगे और हम न तो इन्हें बचा पाएंगे न ही इस आपदा से स्वयं बच पाएंगे।

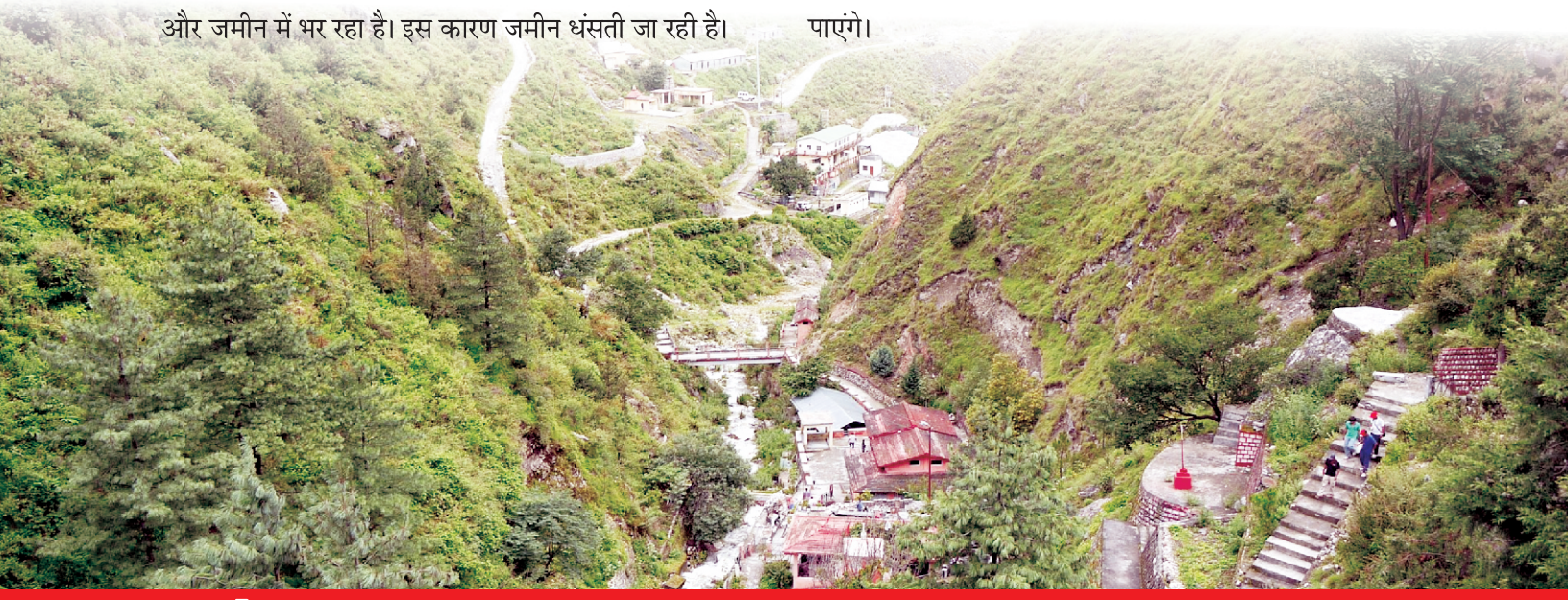

इच्छा मृत्यु के मसले पर जारी है बहस

• निशा

''मैं मृत्यु से क्यों डरूं? जब मैं हूं तो मृत्यु नहीं। उस चीज से मैं क्यों डरूं जिसका अस्तित्व केवल तभी है जब मैं नहीं होता?'' इंसान अपनी मर्जी से जीवन जी तो सकता है किंतु जीवन का अंत अब भी पूर्ण रूप से उसके हाथ में नहीं, वर्तमान में चल रही इच्छा मृत्यु की बहस को भी लोग कुछ इसी नजर से देखते हैं। इच्छा मृत्यु आज के समय में विश्व भर में चल रहा एक ज्वलंत मुद्दा है। इच्छा मृत्यु को युथेनेसिया या मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यह विषय न केवल मेडिकल दृष्टि से बल्कि कानूनी व सामाजिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में जीवन रक्षा की ऐसी प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं, जिससे जीवन और मृत्यु की कड़ी को वर्षों तक उलझाए रखा जाता है। जिसके कारण मनुष्य असहनीय पीड़ा से गुजरता है। अपने जीवन को चिकित्सीय प्रणाली से होने वाले कष्टों से और इलाज में होने वाले महंगे खर्चे से निजात पाने के लिए आज दुनिया भर में इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग बढ़ी है।

अगर मेडिकल साइंस की भाषा पर नजर डालें तो इच्छा मृत्यु मनुष्य की दर्द या पीड़ा खत्म करने के लिए जान-बूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया है। इच्छा मृत्यु की अवधारणा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। महाभारत जैसे ग्रंथ में भीष्म पितामह के द्वारा इच्छा मृत्यु प्रसंग दिखाने का प्रयास बहुत समय पहले ही किया जा चुका है। किंतु वर्तमान समय में अत्यंत गंभीर बीमारियों व असहनीय कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया जाए या नहीं, यह एक गंभीर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।

इच्छा मृत्यु के दो रूप

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में ऐसे व्यक्ति को उसके परिजनों की इजाजत से मारने की छूट दी जाती है, जो जीवन रक्षक प्रणाली पर अचेत अवस्था में रहता है, लेकिन तकनीकी तौर पर वह जीवित

होता है। जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु में ठीक न हो सकने वाली बीमारी की हालत में किसी मरीज को उसकी इच्छा से मृत्यु दी जाती है।

इच्छा मृत्यु अधिकार

यदि बात करें इच्छा मृत्यु अधिकार की तो विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1996 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में यह अधिकार प्रदान किया गया। किंतु किन्हीं कारणों के चलते अगले ही वर्ष इस पर पुनः रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2014 में बेल्जियम ने अपने देश में असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोगों तथा बच्चों के लिए भी इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया, जिससे एक बार फिर इच्छा मृत्यु की चर्चा हो रही है।

मार्च 2021 तक कनाडा, नीदरलैंड, कोलंबिया, लक्जमबर्ग और स्पेन में सक्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पर वैध करार दे दिया गया है। वहीं कनाडा में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत रोगी के कहने पर जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर उसे रोग से मुक्ति दी जाती है। नीदरलैंड में असिस्टेड सुसाइड यानी चिकित्सक की मदद से रोगी को मृत्यु दी जाती है।

भारत में इच्छा मृत्यु कानून

सभी देशों के समान ही भारत में भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति हेतु इच्छा मृत्यु के अधिकार देने की मांग वर्षों से की जा रही है। वर्ष 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार में मृत्यु पाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 306 और 309 के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करने वाले को दोषी करार किया जाएगा। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले से इच्छा मृत्यु के अधिकार की वैधता और अवैधता के मसले को एक बार फिर से हवा मिली।

अरुणा शानबाग का मामला

मुंबई के अस्पताल में वर्ष 1973 में अरुणा शानबाग नर्स के रूप में कार्यरत थी, जिसे गले में जंजीर बांधकर उसी अस्पताल के वार्ड ब्वॉय ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद शानबाग काफी लंबे समय तक मृतप्राय होकर अस्पताल में भर्ती रहीं। इस पर पीड़िता की सहेली, जो एक लेखिका थी, ने शानबाग के लिए सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी। इस मामले में पत्रकार पिंकी विरानी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2011 को ठुकरा दिया था। 42 साल तक कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 को अरुणा की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अरुणा शानबाग के माता पिता नहीं हैं। उनके रिश्तेदारों को भी मामले में कोई विशेष रुचि नहीं रही। लेकिन केई एम हॉस्पिटल ने कई सालों तक अरुणा की सेवा की है। लिहाजा अरुणा के बारे में फैसला करने का हक केई एम हॉस्पिटल को है।

पीठ ने मामले में टिप्पणी दी कि अगर हम किसी मरीज से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो देश में हमेशा यह संदेह बना रहेगा कि इस अधिकार का लोग प्रयोग प्रॉपर्टी हथियाने या अन्य किसी गलत मकसद को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल इच्छा मृत्यु को भारत में वैध बनाने को लेकर इस पर अभी भी विमर्श जारी है।

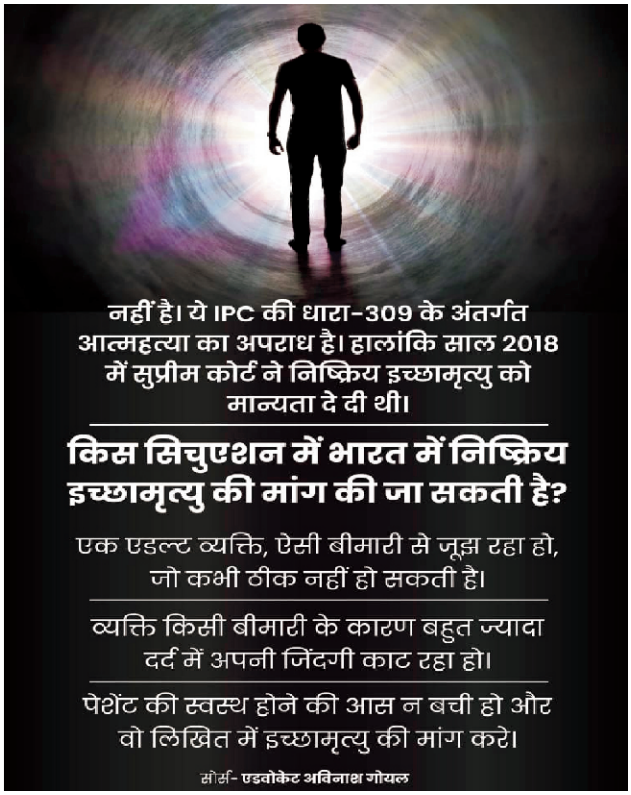

भारत से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ योग

• प्रेरणा

योग एक ऐसा अभ्यास है जो भीतर से खुशी, स्वास्थ्य, शांति लाता है। साथ ही व्यक्ति की आंतरिक चेतना और बाहरी दुनिया के बीच संबंध की भावना को गहरा करता है।

'योग' शब्द संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। साथ ही योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आधयात्मिक अभ्यास है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। यह आज विश्व भर में अन्य रूपों में काफी प्रचलित है और लोकप्रिय भी है।

योग का सार संतुलन है, न केवल शरीर के भीतर या मन और शरीर के बीच संतुलन बल्कि दुनिया के साथ मानवीय संबंधों में संतुलन भी। योग ध्यान, संयम, अनुशासन और दृढ़ता के मूल्यों पर जोर देता है। यह एक शारीरिक गतिविधि से कहीं बढ़कर है। योग के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक दिवंगत बीकेएस अयंगर का कहना है कि ''योग दिन-प्रतिदिन के जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के तरीकों को विकसित करता है और किसी के कार्यों के प्रदर्शन में कौशल प्रदान करता है।"

पृथ्वी ग्रह के साथ सद्भाव में स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मानवता की सामूहिक खोज में योग एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो योग स्थायी जीवन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।

यदि पुरुष योग सिखाते हैं तो वे योगी कहलाते हैं। यदि महिलाएं योग सिखाती हैं तो वे योगिनी कहलाती हैं। योग सूत्र दो हजार साल पुरानी किताब है। यह एकमात्र ग्रंथ है, जिसमें योग के लिखित प्रमाण मिलते हैं। यह किताब योग के बारे में सबसे पुरानी है। इस ग्रंथ में यौगिक दर्शन का वर्णन किया गया है। कोई कैसे अपने मन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और आध्यात्मिकता में विलीन हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे तरीके भी बताए गए हैं।

सदियों पहले संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था-

धैर्य यस्यपिता क्षमा च जननी
शांतिश्चिरं गेहनी, सत्यं मित्रमिदं दया
च भगनी भ्राता मनः संयम। शय्या भूमि तलं दिशोंऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। ह्येते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः।।

इसका तात्पर्य यह है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति में पिता के समान रक्षा करने वाला साहस, माता के समान क्षमा और स्थायी मित्र बनने वाली मानसिक शांति जैसे अच्छे गुण आ जाते हैं। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी शय्या बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है।

11 दिसंबर 2014 को भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मसौदा प्रस्ताव पेश किया। उस मसौदा पाठ को दुनिया के 177 सदस्य देशों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने पाठ को प्रायोजित किया, जिसे वोट के बिना अपनाया गया था। इस गंभीर पहल को कई वैश्विक नेताओं का समर्थन मिला। कुल 177 देशों ने संकल्प को सह-प्रायोजित किया, जो इस तरह के किसी भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेम्बली (यूएनजीए) संकल्प के लिए सहप्रायोजकों की सबसे बड़ी संख्या है। प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 'योग दिवस' नामक मसौदा प्रस्ताव को अपनाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष दुनिया भर में योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

इसका उद्देश्य था विश्व भर में योग के प्रति लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरुकता बढ़ाना। लोग जागरुक होंगे तो जीवन में योग को अपनाएगे। योग के अपनाने से उसके शरीर में पाई जाने वाली व्याधियां कम होंगी। उसका निदान भी होगा। उनकी देखादेखी और लोग भी योग को अनाएंगे, जिससे समाज में जागरुकता का प्रसार होता जाएगा और लोगों को बीमारियों से लाभ प्राप्त होगा। वह नीरोग होंगे और अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया था, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है । 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित लगभग 36,000 लोगों और दुनिया भर की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने नई दिल्ली में 35 मिनट के लिए 21 योग आसन किए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। यह दिन तब से दुनिया भर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिह्नित करने के लिए 10 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिह्नित करने के लिए एक शीट पर आसनों पर केन्द्रित 10 डाक टिकट भी जारी किए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर के लोग अपने योगा मैट को बाहर निकालने और व्यायाम करने के लिए तैयार हैं। योग को एक प्राचीन अभ्यास माना जाता है जो भारत में पांच हजार साल पहले उत्पन्न हुआ था। योग को आत्मज्ञान के करीब लाने के लिए मन, शरीर और आत्मा को आपस में जोड़ने के तरीके के रूप में विकसित किया गया था। जैसे-जैसे यह अभ्यास पश्चिम में लोकप्रिय हुआ, यह एक व्यायाम और विश्राम पद्धति के रूप में लोकप्रिय हो गया। उसमें दावा किया गया कि यह शरीर की सामान्य भलाई में मदद करता है। शारीरिक चोटों और पुराने दर्द को कम करता है। अनेक मामलों में अवश्य ही यह लाभकारी होता है, ऐसा लोग बताते रहे हैं, लेकि सारी बीमारियों, शारीरिक कष्टों व असाध्य रोगों का इलाज से संभव है, ऐसे दावे करने वाले भी अनेक हैं। उनकी बातों का स्वीकार करना चाहिए, जितना धरातल पर संभव रहा है।

प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में हिन्दी और तेलुगु सिनेमा

• **मीनाक्षी पंत**

सिनेमा मनोरंजन का वह सशक्त माध्यम है जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। अपने शुरुआती दौर में सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया जाता रहा परंतु जिस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, उसी क्रम में सिनेमा बनाने के उद्देश्य में भी परिवर्तन आया। धीरे-धीरे सिनेमा ने अधिक से अधिक लाभ कमाने की ओर रुख कर लिया। वर्तमान समय में सिनेमा उत्पाद के रूप में देखा जाता है। परिवर्तन होने के साथ ही प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ती जा रही है। आज यदि भारत के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि हिंदी सिनेमा और दक्षिण भारतीय सिनेमा एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी बनकर समाने आए हैं।

हिंदी सिनेमा व दक्षिण भारतीय सिनेमा

सालों से भारत के आम लोगों के दिलों दिमाग में राज करने वाले हिंदी सिनेमा को दक्षिण भारत का सिनेमा कांटे की टक्कर दे रहा है। हिन्दी सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के की सन् 1913 में बनी फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' से मानी जाती है। यह एक मूक फिल्म थी, जिसे लगभग 23 दिनों तक थिएटर्स में देखा गया था।

फिल्म निर्माण के अलग-अलग आयामों और विकसित होती तकनीक के मामले में दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग एक-दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं। इसी के साथ हिंदी सिनेमा को भी काफी टक्कर दे रहे हैं। मूल रूप से तमिल भाषा और बाद में हिंदी भाषा में बनी 'चंद्रलेखा' फिल्म का निर्माण 1943 से

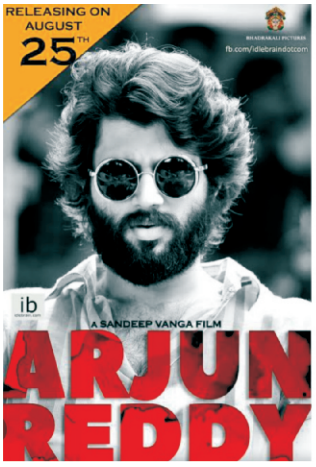

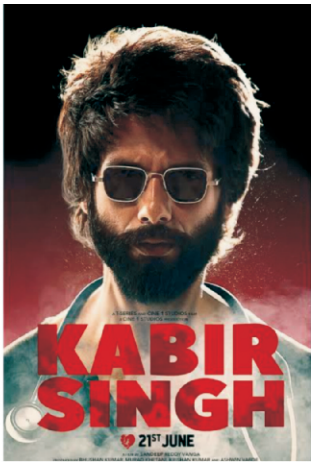

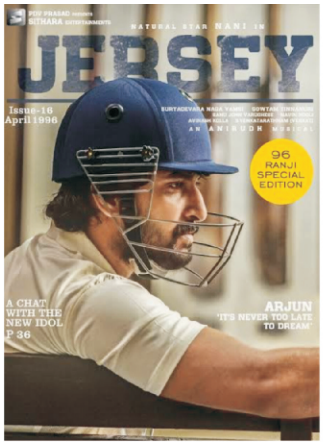

1948 तक पूरे पांच सालों तक चला। 9 अप्रैल 1948 को रिलीज की गई 'चंद्रलेखा' फिल्म ने देश भर के बॉक्स ऑफिस के लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह भारत की ऐसी पहली फिल्म थी जो बड़े पैमाने पर हिट हुई थी। आगे चलकर इसका हिंदी वर्जन भी काफी हिट हुआ। इस घटना ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए हिंदी फिल्म थिएटर्स के दरवाजे खोल कर रख दिए।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साल 2015 में बनी 'बाहुबली' फिल्म ने भारत के साथ-साथ लगभग पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। 'बाहुबली' फिल्म मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी थी। बाद में इसकी प्रसिद्धि देखते हुए कई अन्य भाषाओं में इसे डब किया गया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को भी बॉक्स ऑफिस में मात दे दी थी। लगभग 600 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली इस फिल्म को उत्तर भारत के 2000 सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज किया गया था। इसी साल 2015 में 162 तेलुगु फिल्में बनाई गईं, जिनमें से लगभग 50 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में सफल प्रदर्शन किया।

प्रतिस्पर्धा की परख

देश भर में तेलुगु फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता के चलते यह दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के लोगों के दिलों में भी राज कर रही है। इस प्रकार की प्रसिद्धि ही मुख्य कारण है कि हिंदी सिनेमा व तेलुगु सिनेमा एक दूसरे के समक्ष प्रतिस्पर्धी बनकर खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा कंटेंट व पटकथा के मामले में हिंदी सिनेमा को पीछे छोड़ रहा है। हिन्दी सिनेमा

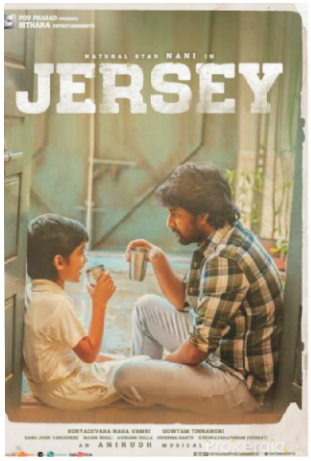

जहां एक तरफ आपने कंटेंट में चकाचौंध व पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा अपनी सतह से आज भी जुड़ा हुआ है। तेलुगु फिल्मों में संस्कृति को प्राथमिकता दी जाती है। तेलुगु फिल्मों में मुख्य रूप से पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा आदि को महत्व दिया जाता है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत की आम जनता भी तेलुगु फिल्मों को अधिक सराह रही है, क्योंकि लोग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।

तकनीक के मामले में भी तेलुगु सिनेमा तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हिन्दी सिनेमा की ही तरह तेलुगु सिनेमा में भी तकनीकी आधार पर चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। संगीत के मामले में देखा जाए तो हिंदी सिनेमा आज भी अपने स्थान पर कायम है। तेलुगु फिल्मों में गीत-संगीत क्षेत्रीय भाषा पर आधारित बनाए जाते हैं, जिस कारण दक्षिण भारत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लोगों को यह अधिक नहीं भाते। वहीं दूसरी ओर हिंदी सिनेमा की फिल्मों में उपयोग किए जाने वाला गीत-संगीत हिंदी भाषा में होता है और लोगों को अधिक पसंद आता है। आंकड़ों के अनुसार आज भारतीय फिल्म उद्योग में संगीत का कुल कारोबार लगभग 1800 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया है।

फिल्मों के निर्माण की बात की जाए तो हिंदी सिनेमा तेलुगु सिनेमा की तुलना में अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। जहां तेलुगु सिनेमा में औसतन 300 फिल्में बनाई जाती हैं, वहीं हिंदी सिनेमा में 1200 फिल्में निर्मित की जाती हैं।

कुछ फिल्मों पर बात

साल 2015 में बनी 'बजरंगी भाईजान', 2016 में बनी 'दंगल', 2018 में बनी 'पद्मावत' कुछ ऐसी हिंदी फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में मोटी कमाई करने के साथ-साथ अपने बेहतर कंटेंट के लिए भी जानी गईं। दक्षिण भारत की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में 2015 की 'बाहुबली', 2018 की 'के.जी.एफ.', 2021 की 'पुष्पा: द राइज' व 2022 की 'सीताराम' आदि हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई करने के साथ सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्धि भी बटोरी। यह ऐसी फिल्मों की श्रेणी में हैं, जो दक्षिण भारत के अलावा पूरे भारत के लोगों की जुबां पर छाई हुई हैं। प्रभावी पटकथा, विकसित तकनीक व बेहतर संगीत के उपयोग के चलते यह फिल्में इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाईं।

आगामी समय और सिनेमा

भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी शुरुआती अवस्था में सिनेमा को अच्छी नजर से नहीं देखा गया, परंतु धीरे-धीरे सिनेमा ने लोगों के मन मस्तिष्क में राज करना सीख लिया। सिनेमा ने मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक जनचेतना बढ़ाने का भी काम किया है।

सिनेमा चाहे हिंदी हो या तेलुगु, इसमें मानवीय संवेदनाओं व भावनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसी वजह से लोग इससे सीधे तौर पर जुड़ाव महसूस करते हैं। हिन्दी व तेलुगु सिनेमा के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा आज विश्व भर में एक ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं यह बात तय है कि आगामी समय में तेलुगु सिनेमा भी मुख्य धारा के सिनेमा में अपनी जगह बना लेगा व हिंदी सिनेमा को बॉक्स ऑफिस में लाभ कमाने के मामले में भी पछाड़ देगा।

चुनौतियों से भरा है डिलीवरी ब्वॉय का जीवन

• **शृंगारिका**

लगभग 125 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने मुंबई जैसे व्यस्त महानगरीय क्षेत्र में डब्बा वाला भोजन वितरण प्रणाली विकसित की थी। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के जवाब में यह भोजन वितरण प्रणाली डब्बा वाला नामक डिलीवरी पुरुषों पर निर्भर थी। डब्बा वालों ने सीधे लोगों के कार्य स्थल पर भोजन पहुंचाने का काम शुरू किया था। यह भोजन वितरण प्रणाली अब और भी आधुनिक हो गई है, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में चीजें डिजिटल हो गई हैं। सिर्फ एक क्लिक पर आपका सामान आपके घर तक पहुंचता है। हर व्यक्ति अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से डिजिटल लेटफॉर्म्स का उपयोग करता है। उन्हीं में से एक सुविधा यह भी है ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। बात नौकरी पेशा लोगों की हो या फिर हॉस्टल या पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों की, जो दिन भर के तनाव और थकान से भरे होते हैं। उसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे अपने लिए खाना बना सकें या होटल में जाकर खा सकें। इस कारण उन्हें अपना खाना ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता है।

ऑनलाइन फूड कारोबार ने भारत के 500 से ज्यादा शहरों में अपनी पहुंच बना ली है। फिलहाल ऑनलाइन में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि सालाना हो रही है। यह आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से रोजाना लगभग 30 से 40 लाख लोग फूड डिलीवरी ब्वॉय के रूप में सड़क पर उतरते हैं। आजकल हर किसी को कोई भी काम जल्दी से करने आने की आदत होती है। इसका एक उदाहरण ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ग्राहक को अपनी डिलीवरी मात्र 10 मिनट में चाहिए होती है। इससे फूड डिलीवरी करने वाले लोगों में मानसिक और शारीरिक तनाव होता है। लेट होने पर उन्हें फूड डिलीवरी कंपनी के बॉस और कस्टमर दोनों से सुनना पड़ता है। साथ ही उनकी सैलरी भी काट ली जाती है। इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान होते हैं। समय पर डिलीवरी पहुंचाने के तनाव में तेज गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी आपाधापी के कारण हर साल देश में 1.5 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें से 60 प्रतिशत फूड डिलीवरी में लगे लोग होते हैं। कुछ लोग तो साइकिल से भी फूड डिलीवरी करते हैं। इसके बावजूद अगर वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते तो कई लोग इस तनाव में आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं।

क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपनी जरूरत और सुविधा के लिए किसी और का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में नहीं सोचते उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा या उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचती होगी? फूड डिलीवरी में लगे लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। यही जानने के लि ए हमने विकासनगर क्षेत्र के कुछ फूड डिलीवरी ब्वॉयज से बातचीत की।

सबसे पहले सरफराज से बात की, जो दोपहर में एक मैकेनिक की दुकान पर काम करते हैं। रात के समय फूड डिलीवरी का काम करते हैं। उनका कहना है कि मैकेनिक के काम से उनकी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। घर में उनके दो बच्चे, पत्नी और माता-पिता हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। दोनों बच्चे पढ़ते हैं। माता-पिता बूढ़े हो गए हैं। उनकी

दवाई पानी का खर्च होता है। इसी कारण उन्हें रात के समय में फूड डिलीवरी का काम करना पड़ता है। इनका कहना है कि फूड डिलीवरी करते वक्त कई बार रास्ते में इनकी आंख लग जाती है। रात और दोपहर को काम करने के कारण नींद पूरी नहीं कर पाते। लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें यह काम करना पड़ता है।

आकाश सिंह एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। साथ ही रविवार या रात में वह फूड डिलीवरी का काम करते हैं। उनका कहना है कि घर बनाने के कारण इनके ऊपर बहुत कर्ज है, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ता है। वह कहते हैं कि आप चाहे कितना भी बड़ा काम करते हैं, लेकिन अगर आपके कंधों पर यह बैग और शरीर पर यह लाल टीशर्ट होती है तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। हम चाहे जितना भी बड़ा बनने की कोशिश करें लेकिन अगर रास्ते में कोई हमसे टकरा जाए या किसी की गाड़ी हमसे टकरा जाए तो हमें चुपचाप वहां से उठकर सॉरी बोल कर जाना होता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक फूड डिलीवरी मैन जो ठहरे।

सौरव फुल टाइम फूड डिलीवरी का काम करते हैं। वह कहते हैं कि जब फूड डिलीवरी करने जाते हैं तो उन्हें अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कभी खुश होकर कोई टिप देता है तो कभी कोई डांट कर भगा देता है। डांट की वजह खाना पहुंचाने में लेट होना होता है। सौरभ ने एमबीए कर रखा है। पर, काम नहीं मिलने के कारण उन्हें फूड डिलीवरी ब्वॉय का काम करना पड़ता है। इससे कई रिश्तेदार उन पर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मैं एक फूड डिलीवरी मैन का काम करता हूं। आगे वह बताते हैं कि महंगाई के इस दौर में सिर्फ फूड डिलीवरी करके घर का भरण-पोषण करना मुश्किल होता है। कई बार लगता है कि वह डिप्रेशन में चले गए हैं। कई बार सोचने लगते हैं कि वह घर छोड़कर कहीं चले जाएं। पर, यह कोई विकल्प नहीं है।

फूड डिलीवरी करने वाले लोगों से बात करने पर पता चला कि उनकी जिंदगी असल में होती कैसी है। लोगों के मन में उनके प्रति कैसी भावनाएं हैं। इनकी कीमत सबसे ज्यादा हमें कोरोना काल के दौरान पता चली, जब पूरी दुनिया घर पर थी। पर, सुरक्षा बलों की तरह इन्होंने कुछ शहरों में घर तक खाना पहुंचाने का काम किया। इनका जीवन देखते हुए यह कहना सही होगा कि समाज में इनके प्रति इज्जत की भावना नहीं हैं। इसी भावना को फिल्मी दुनिया ने पकड़ा है। उसने 'ज्विगाटो'नामक फिल्म बनाई है, जिसे नंदिता दास ने निर्देशित किया है। कपिल शर्मा ने उसमें एक फूड डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम किया है। फिल्म में फूड डिलीवरी ब्वॉय की असल जिंदगी के बारे में बात की गई है। उनकी जिंदगी असल में कैसी होती है, उनके ऊपर किस प्रकार का तनाव होता है, यह फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है।

हिन्डेनबर्ग का नया शिकार

● **अनुराग**

बीते कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में बहुत अधिक गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसका मुख्य कारण है अडानी ग्रुप के शेयर्स में अचानक से बहुत अधिक गिरावट आना। यह गिरावट आई है हिन्डेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने एकदम से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेज क्रैश हो गए।

हिन्डेनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन मूल की कंपनी है, जिसे 2017 में नैथन एंडरसन ने बनाया था। यह एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। यह दूसरी कंपनियों पर शोध करती है तथा उनके गलत कार्यों की रिपोर्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करती है। यह दूसरी कंपनियों में निवेश भी करती है। यह कोई नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। यह मुख्यत: शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाती है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी कंपनी के शेयर हमारे पास मौजूद न होने के बावजूद भी बेच सकते हैं। इस तकनीक में हम पहले किसी कंपनी के शेयर बड़े मूल्यों पर बेच देते हैं। उसके बाद कम मूल्य पर उन शेयर को खरीदते हैं। किसी कंपनी के गिरते शेयर प्राइसेज के मामले में हम ऐसा कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग की तकनीक गैरकानूनी नहीं है। यह पूर्ण रूप से मान्य है। परंतु हिन्डेनबर्ग रिसर्च इसे गैरकानूनी तरीके से करती है। हिन्डेनबर्ग रिसर्च अक्सर ऐसा करती है। यह दूसरी कंपनियों की बुरी रिपोर्ट जनता के सामने पेश करती है, जिससे लोग उस कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और हिन्डेनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज्यादा मुनाफा बनाती है।

हिन्डेनबर्ग रिसर्च अन्य कंपनियों जैसे टेस्ला, ट्विटर, निकोला के साथ भी ऐसा कर चुकी है। हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने जब निकोला कंपनी की रिपोर्ट पब्लिक की थी तब निकोला कंपनी के शेयर प्राइस 94 प्रतिशत तक गिर गए थे। इस बार हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को अपना शिकार बनाया है। हिन्डेनबर्ग रिसर्च दो वर्षों से अडानी ग्रुप पर शोध कर रही थी। हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ 106 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक की है। इसके अंदर हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अनेक आरोप लगाए हैं। जैसे कि अडानी ग्रुप के शेयर ओवर वैल्यूड हैं। इतने कम समय में इतना अधिक विकास नामुमकिन है। प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी रखे हैं। हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने अडानी परिवार के कई सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। जैसे कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को दो बार धोखाधाड़ी के आरोप लगने के बावजूद भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाया गया? गौतम अडानी के साले समीर वोरा को हीरा व्यापार घोटाला के आरोप के बावजूद अदानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया? गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी 38 मोरिशियस सेल एंटिटीज चला रहे थे, जिससे वे गलत इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट से गलत व्यापार कर रहे थे तथा शेयर प्राइस को प्रभावित कर रहे थे, ऐसा भी कहा गया।

जिस समय हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने यह रिपोर्ट पब्लिक की थी उसके कुछ समय बाद ही अडानी इंटरप्राइजेज अपना एफपीओ लॉन्च करने वाली थी। यह भारत का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला था। गौतम अडानी ने 2022 में अपनी संपत्ति में लगभग 65 बिलियन का मुनाफा किया था, परंतु इस रिपोर्ट के बाद उन्हें अचानक से 50 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा।

इस रिपोर्ट के कारण केवल अडानी ग्रुप को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि एलआईसी व एसबीआई को भी नुकसान हुआ। एलआईसी को 16000 करोड़ का तो एसबीआई को 78000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद अडानी ग्रुप ने भी 413 पन्नों की रिपोर्ट हिन्डेनबर्ग रिसर्च के खिलाफ तैयार की है। उसने कहा है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने की कोशिश की गई है। जहां फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों ने नुकसान होने पर हजारों की संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, वहीं इतने नुकसान के बावजूद अडानी ग्रुप ने किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला।

जी-20 में भारतीय संस्कृति का बखान

अफसाना

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक देश निरंतर प्रयास करता है। इसी प्रयास को एक मंच 1997 में जी–7 के साथ मिला। फिर 1999 में जी–20 हो गया। इसमें 13 और देश जुड़े। शक्तिशाली देशों का यह समूह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करता है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। शक्तिशाली देशों के इस समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसका दायरा कितना बड़ा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह 20 देश मिलकर पूरी दुनिया की 85 प्रतिशत जीडीपी में भागीदार हैं। विश्व व्यापार में 75 प्रतिशत भागीदारी रखते हैं। दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी इन्हीं देशों में रहती है। साल 2022 में बाली शिखर सम्मेलन के अंत में जी–20 की अध्यक्षता का हथौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से जी–20 की अध्यक्षता संभाली। 1999 से जी–20 प्रमुख आर्थिक मुद्दों व हाल में राजनीतिक सरोकार पर भी दुनिया के सबसे ताकतवर मंच के तौर पर उभरा है। भारत से पहले इंडोनेशिया ने इसकी कमान संभाली थी। भारत की थीम है–एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह स्लोगन संदेश देता है कि किस तरह देशों के एकजुट होने से बड़े से बड़े संकट का निपटारा किया जा सकता है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के साथ जी–20 में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है।

भारत ने आयोजन को कामयाब बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत से लेकर अंत तक भारत ने 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित कीं। उन बैठकों में आयोजन को भव्य बनाने पर तरह–तरह से विचार किया गया। जी–20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। भारत की अध्यक्षता में जी–20 का शतक पूरा हो गया। आयोजन संबंधी बैठकों में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का साथ लिया गया। इसमें आयोजन स्थल की साज–सज्जा, ठहरने का प्रबंध और आने जाने के साधन शामिल हैं। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 10 मामलों पर बातचीत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें यूक्रेन युद्ध, कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मंदी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल फासले कम करना, विकासशील देशों की आवाज बनना, वैश्विक मूल्य शृंखला की कमियों को उजागर करना, सभी देशों को कर लगाने का अधिकार मिलना शामिल है। भारत में जहां एक ओर इन मामलों को आगे बढ़ाने का निर्धारण किया गया वहीं दूसरी ओर जी–20 को रचनात्मक तरीके से आयोजित करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें भारत की संस्कृति के प्रदर्शन की कोशिश की गई यानी एक तरह से आयोजनों को सांस्कृतिक उत्सव के साथ जोड़ा गया। इसमें मणिपुर इंफाल के शंघाई उत्सव के साथ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अहमदाबाद गुजरात का अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव शामिल है। ये आयोजन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने के साथ–साथ आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने वाले हैं। इन सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को जी–20 में पिरोया गया। इसे आकार देने में 12 हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने दिन रात एक कर काम किया। जी–20 में भारत ने हर क्षेत्र की झलकियों को शामिल करने का प्रयास किया। जी 20 में भारत ने अपनी संस्कृति के अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने में भारत सफल रहा है। उसने वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करने वाले इस अवसर का पूरा फायदा उठाया है।

दिया जलना कहां मना है?

• मीनाक्षी पंत

"मन उदास था,
चेहरे पर परेशानियों का सैलाब था,
कुछ तो था अनकहा जो वो कहना चाहती थी,
पर किससे और क्या ....."

वह दिन था कसक के जीवन का एक आम दिन पर वह अपनी जिंदगी जीती नहीं थी, बस बिता देती थी–हर एक दिन को, हर एक क्षण को।

सवेरे 4:30 बजे गहरी नींद में जिंदगी जीने के सपने देती कसक को कुछ आवाज सुनाई दी। उसकी नींद टूट गई और वह सपना भी टूट गया जो वह रोज देती थी खुली व बंद आंखों से–जीवन जीने का सपना। कसक की मां ने उसे फिर आवाज लगाकर व्यंग्य के रूप में कहा "उठ जा बिटिया रानी ससुराल में तेरे बाबूजी नहीं आएंगे काम–काज करने।"

कसक ने धीरे से तकिए के नीचे से कागज में छुपाई हुई रुई निकाली और अपने दोनों कानों में डाल ली। वह रजाई के अंदर कुछ देर लेटी रही और आंखें एकटक खोलकर फिर अपनी ही दुनिया में खो गई। कुछ देर लेटकर वह उठी, अपने दोनों हाथों को आपस में मसलकर अपनी आंखों में लगाया और भगवान को याद करते हुए धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए बोली "एक दिन सब ठीक होगा न भगवान जी।"

यह कसक के रोज के दिन की शुरुआत थी। उसका परिवार मूलत: बिहार के एक पिछड़े जिले के एक छोटे से गांव बंधनपुर से संबंधित था, जहां बेटियों को बोझ माना जाता था। कसक के परिवार में उसकी छोटी बहन बिट्टी के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। पिताजी दोनों बहनों को बोझ मानते थे और बड़े बेटे को कुलदीपक कहते थे इसलिए उन्होंने उसका नाम भी कुलदीप रखा था। कुलदीप अपने माता–पिता की तरह रुढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त था। उसका मानना था कि उसकी दोनों बहनों को आजादी देना उसके हाथ में है। कसक की मां ने जो जीवन भर सहा वही अपनी बेटियों के साथ भी होने दिया। दूसरे बेटे की चाह में उन्होंने दो बार गर्भधारण किया पर दोनों बार हुई बेटियां ही।

कसक और बिट्टी एक दूसरे का दर्द समझती थी क्योंकि वह दोनों एक ही तरह की जिंदगी जी रही थी। बिट्टी में कसक की जान बसती थी, वह अपनी छोटी बहन को औलाद की तरह प्रेम देती थी।

दोनों बहनों का सामान्य जीवन यही था कि रोज सुबह विद्यालय जाने से पहले घर काम करना, विद्यालय से आने के बाद रास्ते में खेत में मां का हाथ बटाना, घर आकर खाना बनाना, सुबह के जूठे बर्तन धोना, दोपहर का खाना पिताजी को देकर आना फिर जब बड़ा भाई अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़कर घर आए तो उसके नखरे उठाना और जब कुछ समय मिल जाए तो अपना गृह कार्य पूरा कर लेना। कसक पढ़ने में शुरुआत से ही बहुत होशियार थी और बिट्टी उतनी ही चंचल और मस्तीखोर।

एक दिन विद्यालय से घर आते हुए बिट्टी खेलते–खेलते एक गड्ढे में गिर गई। कसक बहुत डर गई। उसने मदद के लिए आज पास देखा तो दोपहर का समय होने के कारण रास्ता खाली और सुनसान था। कसक किसी को मदद के लिए बुलाने जाती उससे पहले बिट्टी जोर से बोली "दीदी कहीं जाना मत, यहां बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। "कसक कहीं जा न सकी और बिट्टी को सांत्वना देते हुए बोली "तू डर मत बिट्टी, दीदी यहीं है तुझे कुछ नहीं होने देगी।" बहुत मेहनत–मशक्कत करने के बाद भी वह बिट्टी को बाहर नहीं निकाल पाई और आखिरकार ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसने अपने दुपट्टे को दो भागों में फाड़ा और मजबूती से दोनों छोरों को बांधकर गड्ढे में फेंका और कहा बिट्टी इसमें अपना भी दुपट्टा बांध दे और पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर मैं तुझे ऊपर की ओर खींचूंगी। काफी प्रयास के बाद बिट्टी बाहर आ गई। दोनों बहनें खुशी से जोर से गले लगकर रोने लगी, आंखें खोलने पर दोनों ने देखा कि काफी अंधेरा हो चुका था। दोनों ने अपने बस्ते उठाए और जल्दी–जल्दी घर की ओर जाने लगी। घर पहुंचने से पहले ही

दूर से उन्होंने देखा कि घर में भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे और कसक की मां जोर-जोर से रो रही थी। पिताजी सिर झुकाए खड़े थे और बड़ा भाई बहनों को खोजने के बजाए आवारा दोस्तों के साथ आग बबूला हुए खड़ा था। चौखट पर पंचायत बैठी थी और आपस में बातचीत कर रही थी कि तभी कसक की मां की नजर दोनों बहनों पर पड़ी वह दौड़कर आई और एक जोरदार थप्पड़ कसक के मुंह पर जड़कर बोली "कहां मर गई थी दोनों। अंधेरा सिर चढ़ गया है, चांद भी निकल आया पर तुम दोनों कहां काली रात में मुंह काला करवा रही थी।" भाई ने भी दोनों बहनों को तड़ी झाड़ते हुए बोला "तुम्हें इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए थी।" पिछड़ी सोच होने के कारण सब यही मान रहे थे कि दोनों बहनें देर रात बाहर थीं तो कोई गलत काम करके ही आई हैं। बिट्टी जोर-जोर से रोने लगी। कसक कुछ समझ पाती इससे पहले उसके पिताजी की आवाज आई, "हमारे मालिक, हमारी पंचायत और हमारी ओर से तो यह दोनों आज ही मर गईं। अब जो आपका फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। बिट्टी और कसक सच्चाई बताने की लाख कोशिश करते रहे पर किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं जताया।

आखिर में पंचायत ने फैसला सुनाया कि इन दोनों ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी और अगर यह बात फैली तो गांव भी बदनाम हो जाएगा इसलिए इनका गांव निकाला कर देना ही ठीक होगा। कसक के परिवार ने भी इसे सहमति जताई। बिट्टी रोने लगी। कसक की आंखों से एक आंसू न निकला मानो सारे आंसू सूख गए थे। वह निशब्द थी, स्तब्ध थी। उसने बिट्टी का हाथ पकड़ा और चुपचाप चल पड़ी। बिट्टी रोए जा रही थी। कसक उसे गांव के बाहर एक पुराने तबेले में ले गई जिसका मालिक शहर में रहता था। दोनों बहनों ने अपनी रात वहीं काटी। कसक आधी रात तक बिट्टी को चुप करवाती रही और ऐसे ही दिनों की आंख लग गई। सवेरा होने पर वह दोनों बस स्टैंड की ओर चल पड़ीं और एक लंबे सफर के बाद एक अनजान शहर में पहुंच गईं।

कसक पहली बार इतनी चहल-पहल और चकाचौंध दे रही थी। बिट्टी बोली "दीदी अब हम कहां जाएंगे।" कसक चुप रही क्योंकि जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कहीं उसे काम नहीं मिला। थक-हारकर वह दोनों सड़क के एक छोर पर बैठ गए कि तभी एक महिला की नजर उन पर पड़ी। दोनों को इस हालत में अकेले देकर वह समझ गई कि कोई तो बात है जो इनके अंतर्मन को खाए जा रही है। उसने कसक से बात करने की कोशिश की। बिट्टी एक अनजान चेहरे को देखकर डर गई और कसक का हाथ खींचते हुए बोली "दीदी चलो दीदी चलो।" कसक को उस अनजान चेहरे में एक अपनापन नजर आया, उन आंखों में एक चिंता नजर आई, उस भाव में वह व्याकुलता नजर आई जो उनकी परेशानी जानना व सुलझाना चाहती थी। कसक ने बिट्टी को अपनी ओर खींचते हुए गोद में बिठाया और सारी कहानी उस महिला को बताई। सब सुनने के बाद अंजना की आंखें भर आई। उस महिला का नाम अंजना था। अंजना ने उन्हें कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। अंजना उन्हें एक अनाथालय में ले गई जिसका नाम था 'स्वर्ग सा सुंदर मेरा घर।' दोनों बहनें अनाथालय में रहने लगीं।

अंजना उन्हें हफ्ते में एक दिन मिलने आती थी और खूब लाड़ करती थी। दोनों सामान्य जीवन जीने लगीं। अनाथालय में होने पर भी उन्हें कभी घर की याद नहीं आई क्योंकि उनके साथ उस घर में भेदभाव होता था, एक लड़की होने पर उन्हें कोसा जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था।

अनाथालय में दोनों ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। ऐसे ही एक रात कसक बिट्टी को अपने पास में सुलाए आसमान को निहार रही थी। वह भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात कसक बहुत रोई मानो अपना सारा गुमान उतार रही हो। चुप होने के बाद धीमे स्वर में आसमान की ओर देखते हुए कसक बोली "आज सब ठीक हो गया भगवान जी। हम अनाथ न होकर भी अनाथ हैं पर खुश हैं क्योंकि अब हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, हम जिंदगी काट नहीं रहे, जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो अंधेरा था अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने अपने जीवन रूपी दीये में हिम्मत की लौ जलाई है।"

संदेश-इस कहानी के जरिए समाज को यही संदेश है कि इसे बेहतर बनाने के लिए लैंगिक असामनता जैसी सामाजिक बुराई का समाप्त होना जरूरी है, जिसमें सभी को योगदान देना चाहिए।

जीवन का भवसागर

- श्रुति मिश्रा

हर दिन ऐसे बीत रहा है
मानो किसी ने मुझे
समुद्र में उतार दिया है
और मुझे तैरना नहीं आता
रोज हाथ पैर मार रही हूं
ताकि किसी भांति नजदीकी
किनारे तक तो पहुंच जाऊं
या यूं कहूं कि तुम्हारी
सहायता मिलने तक जीवित रह पाऊं
क्योंकि तुम मुझे यूं मरते हुए

तो नहीं छोड़ोगे
पर इस वजह से प्रयास करना
तो नहीं छोड़ना चाहिए
तुम ही तो कहते हो
तो मैं अपना कर्म करती रहूंगी
क्योंकि कभी तो तुम आओगे
चाहे मुझे बचाने या चाहे
मुझे अपने साथ ले जाने।

बस इतना सा

- खुशी वशिष्ठ

जिंदगी का सच बस इतना सा है
इंसान पल भर में याद बनकर रह जाता है
वक्त का राज बस इतना सा है कि
किसी न किसी दिन यह चलते चलते ही ठहर जाता है
खुद पर विश्वास बस इतना सा है कि
न न करते हुए भी यह सब कुछ कर जाता है
हालातों का फरमान बस इतना सा है कि
सब कुछ संभलते हुए भी बिखर जाता है
कोशिशों का अंजाम बस इतना सा है कि
आंखों से बूंद का कतरा तक निकलने से मुकर जाता है
सफलता का अरमान बस इतना सा है कि
होठों पर मुस्कान का सिलसिला बंध सा जाता है
हार का परिणाम बस इतना सा है कि
राही नई शुरुआत की खोज में निकल जाता है
खैर, जिंदगी की दौड़ में आखिरकार
अंतिम समय आ ही जाता है
बहरहाल, मौत का पैगाम बस इतना सा है कि
जिंदगी की थकावट के बाद इंसान मौत की गोद में
सिमट जाता है।

राम लाल आनंद महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
बेनितो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली-110021